रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082022-238396
CG-DL-E-26082022-238396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 2022/भाद्र 3, 1944
No. 580] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2022/BHADRA 3, 1944

## मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

## (पशुपालन और डेयरी विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2022

## पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2022

**सा.का.नि. 656(अ)**.—पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.आ. 1256 (अ) 24 दिसम्बर 2001 को प्रकाशित तथा सा.आ. 303 (अ) दिनांक 8 फरबरी, 2011 को संशोधित, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या छोडे गए कार्यों को छोडकर, संघ सरकार भारत के राजपत्र में मसौदा नियमों के प्रकाशन के साठ दिनों के भीतर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा नियमों को प्रकाशित करने का प्रस्ताव कर रही है।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई भी व्यक्ति संघ सरकार के विचार हेतु जो कोई सुझाव या आपत्ति करना चाहता है, ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर, संयुक्त आयुक्त (पशु कल्याण), केबिन नंबर 6, चंद्रलोक भवन, जनपत, नई दिल्ली को अग्रेषित कर सकता है।

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों को पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2022 कहा जायेगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं :** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

   (क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 अभिप्रेत है;

   (ख) "पशु जन्म नियंत्रण केंद्र" का अभिप्राय सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट-ऑपरेटिव केयर केनेल, क्वारंटाइन केनेल, आइसोलेशन केनेल, डॉग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के साथ आवश्यक लॉजिस्टिक्स और बोर्ड द्वारा निर्धारित

ऐसी अन्य सुविधाओं के साथ एक पशु चिकित्सा सुविधा है, जहां स्ट्रीट डॉग्स को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए लाया जाता है।

(ग) "पशु आश्रय" का अभिप्राय है वह स्थान जहां आवारा या गली के या परित्यक्त पशुओं को गोद लेने या पुनर्वास, बीमार या घायल होने पर सामान्य उपचार के लिए रखा जाता है;

(घ) "पशु कल्याण समिति" का अभिप्राय इन नियमों के तहत सामुदायिक श्वानों को खाना खिलाने के समाधान हेतु गठित समिति है;

(ङ) "पशु कल्याण संगठन" का अभिप्राय है पशुओं के कल्याण के लिए काम करने वाला कोई भी संगठन जो 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) या किसी भी संबंधित कानून के तहत पंजीकृत है और बोर्ड की मौजूदा नीति के अनुसार भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(च) "बोर्ड" का अभिप्राय भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड है, जिसे अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया है और धारा 5ए के तहत पुनर्गठित किया गया है;

(छ) "प्रमाण-पत्र" का अभिप्राय है इन नियमों के तहत पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य से किसी भी पशु कल्याण संगठन या स्थानीय प्राधिकरण को बोर्ड द्वारा जारी परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र।

(ज) "समिति" का अभिप्राय है इन नियमों के तहत स्थापित एक निगरानी समिति

(झ) "सामुदायिक पशु" का अभिप्राय किसी समुदाय में पैदा हुआ कोई भी पशु है जिसके लिए किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी स्वामित्व का दावा नहीं किया गया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के तहत परिभाषित जंगली जानवरों को छोडकर ।

(ञ) "निरिक्षण दल" का अभिप्राय है नियमों के तहत बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा अधिकृत टीम।

(ट) "स्थानीय प्राधिकरण" का अभिप्राय निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी मामले के नियंत्रण और प्रशासन के साथ एक नगरपालिका समिति, नगर परिषद, जिला प्रशासन, जिला पंचायत/बोर्ड, छावनी बोर्ड या कानून द्वारा निवेशित अन्य प्राधिकरण है;

(ठ) "स्वामी" का अभिप्राय है किसी पशु का स्वामी और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जिसके कब्जे या अभिरक्षा में ऐसा पशु है चाहे वह स्वामी की सहमति से हो या उसके बिना;

(ड) "राज्य बोर्ड" का अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड है।

(ढ) "पशु क्रूरता निवारण समिति (एस.पी.सी.ए.)" का अभिप्राय है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत स्थापित एक एसपीसीए;

(ण) "पशु चिकित्सक" का अभिप्राय है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक पशु चिकित्सक।

(त) "क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी" का अभिप्राय है क्षेत्र के पशुपालन विभाग के सरकारी पशु चिकित्सालय में तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी।

(थ) "परियोजना प्रभारी" का अभिप्राय है स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गली के श्वानों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी। परियोजना प्रभारी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार के नियमित पेरोल पर एक पशु चिकित्सा अधिकारी होंगे।

(द) "परियोजना मान्यता समिति" का अभिप्राय इन नियमों के तहत स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संस्थाओं द्वारा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन है।

(ध) "पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम" का अभिप्राय है पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की परियोजना मान्यता के आवेदनों पर जांच और परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा गठित समिति

(न) "मॉडयूल" का अभिप्राय है श्वान जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज उन्मूलन के लिए लिखित दस्तावेज जो बोर्ड द्वारा समय-समस पर प्रकाशित और अद्यतन किया जाता है, जो गली के श्वानों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में काम करेगा।

**3. परियोजना मान्यता :**

स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर सकता है, या यदि आवश्यक हो, तो स्थानीय प्राधिकरण एक पशु कल्याण संगठन की सेवाओं को संलग्न कर सकता है जिसे बोर्ड द्वारा पशु जन्म नियंत्रण हेतु विधिवत मान्यता प्रदान है और जिसके पास पशु जन्म

नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण, विशेषज्ञता और मानव संसाधन है। दोनो शर्तों के तहत, बोर्ड से एक परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(1) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या संगठन बोर्ड से परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना गली के श्वानों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम शुरू, संचालित या आयोजित नहीं करेगा।

(2) कोई भी पशु कल्याण संगठन जो किसी भी कानून के तहत अनुबंध करने के लिए अयोग्य नही है, वह पहली अनुसूची में संलग्न फॉर्म –I में अपना आवेदन रूपये 5,000 (पांच हजार रूपये मात्र) की गैर-वापसी शुल्क के साथ बोर्ड को प्रस्तुत करके परियोजना मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) इन नियमों के तहत पिरयोजना मान्यता के लिए आवेदन करने वाले किसी भी पशु कल्याण संगठन को बोर्ड द्वारा पहले से ही एक पशु कल्याण संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

(4) यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, तो स्थानीय प्राधिकरण का परियोजना प्रभारी बोर्ड से परियोजना मान्यता प्राप्त करेगा। यदि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय प्राधिकरण के पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है तो आवेदन शुल्क में छूट दी जाएगी। अन्य सभी शर्तें और बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडयूल लागू होंगे।

(5) पशु जन्म नियंत्रण् कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को प्रत्येक अलग पशु जन्म नियंत्रण केंद्र के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता होगी।

(6) परियोजना मान्यता की मांग करने वाले आवेदक को प्रत्येक पशु चिकित्सक के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / राज्य पशु चिकित्सा परिषद द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसे विशेष परियोजना पर तैनात किया जाएगा। आवेदक को सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। आवेदक द्वारा तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित पशु चिकित्सक / पशु चिकित्सक को नगर निगम के क्षेत्र में तैनाती के मामले में कम से कम 5,000 पशु जन्म नियंत्रण सर्जरी आयोजित करने का कुल संयुक्त अनुभव होना चाहिए और नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के क्षेत्र में तैनाती के मामले में कम से कम 2,000 पशु जन्म नियंत्रण आयोजित करने का कुल संयुक्त अनुभव होना चाहिए।

(7) बोर्ड परियोजनाओं की मान्यता के लिए एक परियोजना मान्यता समिति का गठन करेगा;

(8) बोर्ड परियोजना मान्यता के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित राज्य के पशुपालन विभाग को प्रस्तावित पशु जन्म नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण करने और बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडयूल के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि करने का निर्देश देगा। निरीक्षण एक टीम द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें निम्न शामिल हैं;

i) जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

ii) राज्य पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति के नोडल अधिकारी

iii) बोर्ड या राज्य बोर्ड का प्रतिनिधि

(9) निरीक्षण दल को निरीक्षण की तारीख से दस दिनों की अवधि के अन्दर बोर्ड द्वारा निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र के अनुसार निरीक्षण दल के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(10) परियोजना मान्यता समिति, उप-नियम (8) के तहत निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और संतुष्ट होने पर कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र इन नियमों के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, परियोजना पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश कर सकता है।

(11) परियोजना मान्यता समिति की सिफारिश के आधार पर बोर्ड इन नियमों के तहत विशिष्ट परियोजना के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र जारी कर सकता हैश्, जो अहस्तांतरणीय होगा

(12) स्थानीय प्राधिकरण के पिरयोजना प्रभारी या संगठन के पशु चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र पशु जन्म नियंत्रण केंद्र पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है और ऐसा प्रमाण-पत्र निरीक्षण प्राधिकारी के अनुरोध पर भी प्रस्तुत किया जाएगा।

**4. मान्यता से इंकार :** बोर्ड इन नियमों के तहत स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा संचालित किसी भी परियोजना को मान्यता नहीं देगा, यदि –

(1) स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी यदि झूठी पाई जाती है या आवेदक ने आवेदन में जानबूझकर गलत विवरण दिया है या बोर्ड को मिथ्या या गढा हुआ रिकॉर्ड प्रदान किया है;

(2) इन नियमों के तहत मान्यता के लिए आवेदन जमा करने से पहले किसी भी स्तर पर पशु कल्याण संगठन, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रख्यापित किसी अन्य राज्य या केंद्रीय अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत जानवरों या जानवरों से संबंधित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

(3) पशु कल्याण संगठन ने निरीक्षण दल को पूरे परिसर या परिसर के हिस्से में निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, या इन नियमों के तहत अनिवार्य दस्तावेजों या किसी भी रिकॉर्ड तक पहुंचनें से इनकार कर दिया है।

(4) यदि परियोजना मान्यता समिति यह मानती है कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में बुनियादी ढांचा और उपलब्ध जनशक्ति निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो बोर्ड उपरोक्त नियम 3(7) के अनुसार निरीक्षण दल से रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित में कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

**5. मान्यता के बिना निषेध :** गली के श्वानों के लिए कोई भी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम तब तक आयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन ने इन नियमों के तहत इस तरह के कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया हो।

बशर्ते कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट कोई स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन छह महीने की अवधि के भीतर परियोजना मान्यता के प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने में विफल रहता है या इन नियमों के तहत निर्दिष्ट किसी भी कारण से परियोजना मान्यता से इन्कार कर दिया गया है, तो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण ऐसे पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को बंद कर देगा। यदि कोई श्वान पकडे जा रहे हैं या सर्जरी की जा रही है तो उसे तत्काल रोक दिया जाएगा और सभी श्वानों का इलाज पिरयोजना प्रभारी या किसी पशु कल्याण संगठन के द्वारा किया जाएगा, जब तक कि वे रिहा होने के लिए फिट न हों।

**6. मान्यता का नवीनीकरण :**

(1) बोर्ड द्वारा जारी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र के लिए परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र मान्यता की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध होगा और इन नियमों के तहत बोर्ड को एक आवेदन प्राप्त होने पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

मान्यता के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए परियोजना मान्यता की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पहले, बोर्ड को पहली अनुसूची में संलग्न फॉर्म – IV में पांच हजार रूपये के गैर-वापसी योग्य नवीकरण शुल्क के साथ किया जाएगा। नियम 3 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) बोर्ड, नियम 3 के उप-नियम (3) के तहत निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और संतुष्ट होने पर कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र इन नियमों के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, पहली अनुसूची के साथ संलग्न प्रपत्र – V में दिए गए प्रारूप में नवीनीकरण जारी कर पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की परियोजना मान्यता के प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कर सकता है।

(3) बोर्ड द्वारा जारी परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र के लिए नवीनीकरण तीन साल की अवधि के लिए वैध होगा, यह इन नियमों के तहत बोर्ड द्वारा एक आवेदन और नवीनीकरण शुल्क प्राप्त होने पर नवीकरणीय होगा।

**7. जानवरों का वर्गीकरण :** इन नियमों के उद्देश्य के लिए वर्गीकृत जानवर इस प्रकार हैं

**(क)** पालतू जानवर – व्यक्तियों के स्वामित्व में एवं घर के अंदर रखे जाने वाले श्वान।

(**ख**) गली के श्वान या समुदाय के स्वामित्व वाले भारतीय श्वान या परित्यक्त वंशावली वाले श्वान जो बेघर हैं, गली या एक दरवाजों वाले परिसर में रहते हैं।

**8. टीकाकरण और बंध्याकरण का उत्तरदायित्व :** (1) पालतू पशुओं के मामले में पशु का स्वामी कृमिमुक्तिकरण, प्रतिरक्षकण और नसबंदी के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) गली में रहने वाले पशुओं के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण कृमिमुक्तिकरण टीकाकरण और नसबंदी के लिए जिम्मेदार होगा और इन नियमों के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक पशु कल्याण संगठन को नियुक्त कर सकता है।

**9. निगरानी समितियों का गठन और उसके कार्य :** रेबीज के उन्मूलन और मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए इन नियमों के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। निगरानी समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:

(1) केंद्र सरकार के विभिन्न हितधारको के बीच और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, श्वान जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज उन्मूलन के लिए एक केंद्रीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी और समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन और उसके कार्य अनुसूची – II में निर्धारित किए जाएंगे।

(2) सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर एक राज्य पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति राज्य भर में वैज्ञानिक और चरणबद्ध तरीके से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समन्वय करेगी। समिति का गठन और उसके कार्य अनुसूची – II में निर्धारित किए जाएंगे।

(3) सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर एक स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन और उसके कार्य अनुसूची – II में निर्धारित किए जाएंगे।

**10. स्थानीय प्राधिकरण के दायित्व :**

(1) स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है:

(**क**) पर्याप्त संख्या में केनेल और पशु चिकित्सा अस्पताल सुविधाएं जो स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रबंधित की जा सकती हैं;

(**ख**) श्वानों के सुरक्षित संचालन और परिवहन के लिए आवश्यक रूपान्तरणों से युक्त अपेक्षित संख्या में वैन;

(**ग**) छोटे स्थानीय निकायों, जहां आवश्यक समझा जाता है और जहां पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल के लिए केनेल उपलब्ध हैं, के लिए नसबंदी और टीकाकरण के लिए मोबाइल सैंटर के रूप में सर्जिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस एक मोबाइल ऑपरेशन थिएटर वैन;

(**घ**) अंगों और शवों के निपटान के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए जाने वाले भस्मक। जहां भस्मक संभव नहीं है, वहां गहरी दफन विधि अपनाई जा सकती है।

(**ङ**) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की आवधिक मरम्मत और रख-रखाव।

(**च**) पूरे परिसर में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), विशेष रूप से ऑपरेशन थिएटर में और जहां पशुओं को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में रखा जाता है तथा कम से कम तीन महीने के लिए इन वीडीयो निगरानी के रिकॉर्ड को बनाए रखना होगा या जैसा कि निर्दिष्ट है बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर वीडीयों रिकॉर्डिंग जांच या अनुरोध पर निरीक्षण प्राधिकारी, निगरानी समिति या बोर्ड के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।

(**छ**) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में हर समय साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए।

(**ज**) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में लाए गए सभी जानवरों को पकडने, छोडने, दवा, सर्जरी, भोजन, टीकाकरण के लिए रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए।

(2) यदि पशु कल्याण संगठन की सेवाएं ली गई हैं, तो स्थानीय प्राधिकरण नियमित आधार पर नसबंदी / टीकाकरण के खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा।

(3) स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का आकलन करने के लिए हर महीने कम से कम एक बार बैठक करेगा।

(4) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर स्थानीय प्राधिकरण इन नियमों के उल्लंघन के मामले की जांच करेगा और स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति या बोर्ड की सिफारिश के आधार पर ऐसे संगठन के साथ किसी भी जुडाव को समाप्त या निलंबित करेगा।

**11. पक्डना / नसबंदी / टीकाकरण / छौडना :**

(1) गली के श्वानों को पकडने का कार्य केवल निम्नलिखित कारणों से किया जाएगा :

(क) **सामान्य उद्देश्य :** जिसके लिए स्थानीय प्राधिकरण निगरानी समितियों के परामर्श से एक विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्र में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से गली के श्वानों की अधिक आबादी को नियंत्रित करने का निर्णय करेगा।

(ख) **विशिष्ट शिकायतें :** जिसके लिए स्थानीय प्राधिकरण निगरानी समिति के परामर्श से पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में एक पशु शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, जो रेबीज से पीडित होने वाले संदिग्ध श्वानों के काटने के बारे में जानकारी या शिकायत प्राप्त करेगा।

(2) श्वानों को पकडने वाली टीम में निम्न शामिल होंगे :

(i) वैन का चालक

(ii) स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन के दो या दो से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी जो गली के श्वानों को मानवीय रूप से पकडने में प्रशिक्षित हैं।

(iii) किसी भी पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि जो इस उद्देश्य के लिए नामांकित किया गया है।

श्वान पकडने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य के पास स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होना चाहिए।

(3) किसी भी इलाके में गली के श्वानों को पकडने से पहले, स्थानीय प्राधिकरण या पशु कलयाण संगठन के प्रतिनिधि बैनर/सार्वजनिक नोटिस द्वारा निवासियों को सूचित करते हुए घोषणा करेंगे कि जानवरों को नसबंदी के उद्देश्य से उस क्षेत्र से पकडा जाएगा और टीकाकरण तथा नसबंदी के बाद उसी क्षेत्र में वापिस छोड दिया जाएगा। घोषणा क्षेत्र के निवासियों को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में भी संक्षिप्त में शिक्षित कर सकती है और सभी निवासियों के समर्थन के लिए उन्हें आश्वस्त कर सकती है कि स्थानीय प्राधिकरण उनकी सुरक्षा और जानवरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है। ऐसे प्रयास प्रत्येक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में भी स्थापित किए जाएंगे।

(4) जानवरों को पकडने में मानवीय तरीकों का उपयोग किया जाएगा जैसे कि जाल से पकडना या हाथ से पकडना या किसी उन्य तरीके से जो जानवर को कम परेशान करता हो। श्वानों को पकडने के लिए चिमटे या तारों का प्रयोग करना सख्त रूप से वर्जित होगा।

(5) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की आवास क्षमता के अनुसार केवल निर्धारित संख्या में ही जानवरों को पकडा जाएगा। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में एक निश्चित समय पर केवल एक क्षेत्र के श्वानों को ही नसबंदी, टीकाकरण के लिए लाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के श्वानों को संपर्क में लाने से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(6) पकडे गए सभी श्वानों की पहचान पशु जन्म नियंत्रण केंद्र पर पहुंचने के तुरंत बाद एक नंबर वाले कॉलर से की जाएगी। यह संख्या पकडे गए श्वानों के रिकॉर्ड के अनुरूप होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक श्वान को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में छोडा जाए जहां से उसे पकडा गया था।

(7) छह महीने से कम उम्र वाले गली के श्वान को पकडा नहीं जाएगा और उनकी नसबंदी नही की जाएगी। पिल्लों के साथ मादा जानवरों को तब तक नसबंदी के लिए नहीं पकडा जाएगा जब तक कि उनके बच्चे 2 महीने का न हो जाए।

(8) पकडे गए जानवरों को बोर्ड से परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र वाले और स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रबंधित पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में लाया जाएगा जहां पशु चिकित्सकों द्वारा उनकी जांच की जाएगी। स्वस्थ जानवरों को बीमार या घायल जानवरों से अलग रखना चाहिए। बीमार या घायल जानवरों को पर्याप्त उपचार दिया जाना चाहिये। उपचारित जानवरों के ठीक होने के बाद ही उनकी नसबंदी की जानी चाहिए।

(9) केनेल जहां श्वानों को रखा जाता है, प्रत्येक केनेल के दरवाजे पर इलाके का नाम स्पष्ट रूप से लिखकर चिन्हित किया जाना चाहिए। अलग-अलग श्वानों के लिए केनेल कम से कम 3 फीट चौडे, 4 फीट गहरे और कम से कम 6 फीट ऊंचे होने चाहिए। 3 से 5 श्वानों के लिए केनेल भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जहां प्रत्येक श्वान को कम से कम 3 फीट गुणा 4 फीट की जगह मिले। केनेल में लोहे की खडी छडों का दरवाजा या गेट होना चाहिए। सभी सलाखों के बीच का अंतराल 2 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। खराब मौसम से छाया और आश्रय प्रदान करने और श्वानों को भगने से रोकने के लिए पर्याप्त छत आवश्यक है। केनेल का डिजाइन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि केनेल के माध्यम से हवा का पर्याप्त क्रॉस वेंटिलेशन है। केनेल के पीछे का भाग उठा हुआ डिजाइन किया जाना चाहिए जहां श्वान आराम से सो सके। सफाई की सुविधा के लिए सभी केनेल में उचित जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए।

(10) एक ही परिवार / समाजिक समूह के श्वानों को एक ही केनेल में रखा जा सकता है। नर और मादा श्वानों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए। श्वानों को सर्जरी से पहले 12 घंटे तक क्वरंटाइन केनेल में बिना भोजन या पानी के रखा जाना चाहिए ।

(11) एक अच्छी तरह से सुसज्जित ऑपरेशन थियेटर में स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारियों की विशेष देख-रेख में एक पशु चिकित्सक द्वारा नसबंदी सर्जरी और टीकाकरण किया जाना चाहिए। अनुमोदित सर्जिकल प्रक्रियाएं और न्यूनतम आवश्यकताएं बोर्ड द्वारा मॉडयूल में निर्धारित अुनसार होंगी।

(12) नसबंदी सर्जरी के दौरान प्रत्येक श्वान के दाहिने कान पर एक 'वी' आकार का निशान बनाया जाएगा। कान की इस तरह की कतरन से श्वान के गली में पर वापस आने के बाद उसे बंध्याकृत और प्रतिरक्षित के रूप में पहचानने में मदद मिलती है । श्वानों की ब्रांडिंग की अनुमति नहीं होगी।

(13) सर्जरी से ठीक होने के बाद, श्वानों की नसबंदी के बाद कम से कम चार दिनों के लिए केनेल में रखा जाएगा ताकि पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल हो सके। प्रत्येक श्वान को दिन में दो बार पर्याप्त और स्वस्थ भोजन और हर समय पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

नर और मादा श्वानों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए।

(14) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में श्वानों की उचित आवास और मुक्त आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह होगी। जगह में उचित वेंटिलेशन और प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए और इसे साफ रखना चाहिए।

(15) श्वानों को उसी स्थान या इलाके में वापिस छोडा जाएगा जहां से उन्हें पकडा गया था और उनकी रिहाई की तारीख, समय और स्थान पूरी तरह से ठीक होने के बाद दर्ज किया जाएगा। रिहाई के समय स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि टीम के साथ होगा। समय-समय पर, बोर्ड श्वानों को पकडने और छोडने के दौरान उनके स्थान की जियो-टैगिंग के लिए उपयुक्त प्रक्रिया बता सकता है।

(16) पशु जन्म नियंत्रण सर्जरी को सुरक्षित और मानवीय रूप से करने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसी समय-समय पर मॉडयूल में मानक संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगी।

**12. रखे जाने वाले रिकॉर्ड :**

स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन के परियोजना प्रभारी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में निम्नलिखित रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे :

(1) पकडे गए जानवरों का रिकॉर्ड निम्नलिखित सहित :

(i) उस क्षेत्र / इलाके का नाम जहां से श्वान को पकडा गया था,

(ii) पकडने की तारीख और समय,

(iii) पकडने के लिए जिम्मेदार कैप्चरिंग दस्ते के व्यक्तियों के नाम,

(iv) पकडे गए श्वानों के बारे में विवरण – श्वान की टैग संख्या, नर, मादाओं की संख्या रंग, पहचान चिन्ह और अनुमानित आयु।

(2) प्रत्येक केनेल के लिए फीडिंग रिकॉर्ड और खाद्य सूची

(3) प्रत्येक श्वान के लिए उपचार रिकॉर्ड

(4) दवाईयां और वैक्सीन इन्वेंटरी

(5) मृत्यु दर रिकॉर्ड

(6) सर्जिकल उपकरण आदि सहित उपकरण सूची।

(7) श्वान वैन लॉगबुक

(8) कर्मचारी उपस्थिति रिकॉर्ड

(9) अंग निरीक्षण रिकॉर्ड

(10) पिछले 30 (तीस दिन) दिनों के सीसीटीवी फुटेज

**13. रिपोर्ट :** स्थानीय प्राधिकरण के परियोजना प्रभारी या पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करने वाले पशु कल्याण संगठन के पशु चिकित्सक प्रभारी, जिन्होने इन नियमों के तहत परियोजना मान्यता प्राप्त की है :

(क) अनुसूची - III और IV में निर्धारित प्रारूपों में निम्नलिखित विवरणों के साथ बंध्याकृत और टीकाकरण किए गए गली के शवानों की संख्या की मासिक प्रगति रिपोर्ट स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति को प्रस्तुत करें :

i) पकडे गए गली के श्वानों की कुल संख्या

ii) कुल श्वानों की नसबंदी की गई

iii) केवल अवलोकन के लिए रखे गए गली के श्वानों की कुल संख्या

iv) सर्जरी के पहले, दौरान या बाद में मरने वाले श्वानों की कुल संख्या

v) परियोजना से जुडे प्रत्येक पशु चिकित्सक का नाम और योग्यता तथा महीने के दौरान प्रत्येक पशु चिकित्सक द्वारा बंध्याकृत श्वानों की संख्या।

vi) प्रत्येक पशु चिकित्सक का नाम और पंजीकरण संख्या तथा उसके द्वारा पिछले प्रत्येक महीने में आयोजित पशु जन्म नियंत्रण सर्जरी की संख्या के साथ

vii) अनुसूची – III में निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक पशु चिकित्सक द्वारा की गई सर्जरी के खिलाफ पोस्ट-ऑपरेटिव जटिलताओं और मृत्यु दर की संख्या

(ख) राज्य पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति के माध्यम से बोर्ड को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जो 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के दौरान पकडे गए, बंध्याकृत, प्रतिरक्षित जानवरों की कुल संख्या के बारे में हर साल 31 मई के बाद नहीं;

(ग) समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य जानकारी जमा करें;

**14. निरीक्षण करने की शक्ति :**

(1) बोर्ड को एक शिकायत प्राप्त होने पर या समय-समय पर निरीक्षण के लिए किसी भी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण करने के लिए लिखित रूप में एक निरीक्षण दल को अधिकृत करने की शक्ति होगी :

(2) निरीक्षण दल के पास शक्ति होगी –

**(क)** परिसर में प्रवेश कर परिसर के भीतर सभी क्षेत्रों और सभी जानवरों और रिकॉर्ड तक पंहुचे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों की आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा है:

**(ख)** तस्वीरे लेने, वीडियों रिकॉर्ड करने, और रिकॉर्ड की प्रतियां बनाने की।

(3) इन नियमों के तहत मान्यता प्राप्त इकाई का एक साल में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा।

(4) निरीक्षण दल अपनी रिपोर्ट बोर्ड और राज्य निगरानी समिति को प्रस्तुत करेगा।

(5) निरीक्षण दल द्वारा ऐसा निरीक्षण करने के लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती है।

**15. गली के श्वानों की सुखमयमृत्यु :**

(1) स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति द्वारा नियुक्त एक टीम द्वारा निदान के रूप में असाध्य रूप से बीमार और घातक रूप से घायल श्वानों को एक योग्य पशु चिकित्सक द्वारा सोडियम पेंटोबार्बिटल के अंत: शिरा प्रयोग से या किसी अन्य अनुमोदित मानवीय तरीके द्वारा मानवीय तरीके से निर्दिष्ट घंटो के दौरान सुखमयमृत्यु दी जाएगी।

(2) टीम में क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी, परयिोजना प्रभारी और बोर्ड / राज्य बोर्ड का एक प्रतिनिधि शामिल होगा।

(3) किसी श्वान को दूसरे श्वान की उपस्थिति में सुखमयमृत्यु नहीं दी जाएगी। सुखमयमृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यकित को निपटाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जानवर मर चुका है।

(4) सुखमयमृत्यु का रिकॉर्ड सुखमयमृत्यु के कारणों सहित उपरोक्त नियुक्त टीम के हस्ताक्षर सहित रखा जाना चाहिए।

**16. श्वानों के काटने या पागल श्वानों से संबंधित शिकायतों का समाधान :**

स्थानीय प्राधिकरण एक पशु हेल्पलाइन स्थापित कर सकता है। रिपोर्ट किए जा सकने वाले संघर्ष के मामलों को रिकॉर्ड करने और हल करने के लिए या तो परियोजना प्रभारी या पशु कल्याण संगठन जिम्मेदार होगा।

i) ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता का नाम उसका पूरा पता, शिकायत की तिथि और समय, शिकायत की प्रकृति आदि जैसे विवरण स्थायी रिकॉर्ड के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।

ii) किसी भी श्वान के काटने की सूचना तुरंत सरकारी चिकित्सा अस्पताल के साथ साझा की जाएगी ताकि काटने के बाद उपचार की सिफारिश की जा सकें।

iii) ऐस जानवरों को मानवीय रूप से पकडा जाएगा और पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में अवलोकन के लिए रखा जाएगा। पशु चिकित्सक की सलाह पर, किसी भी संचारी रोग के लक्षण दिखाने वाले श्वान को आइसोलेशन केनेल में रखा जाएगा जहां श्वान को दिन में दो बार भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

iv) किसी भी सदिग्ध पागल श्वान का दो व्यक्तियों के पैनल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा जिसमें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक पशु चिकित्सा सर्जन और एक पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि होंगे।

v) यदि श्वान को रेबीज होने की उच्च संभावना पाई जाती है, तो उसे तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु न हो जाए। मृत्यु आमतौर पर रेबीज होने के 10 दिनों के अन्दर होती है। इसलिए, संदिग्ध पागल श्वानों की समयपूर्व हत्या, रेबीज की वास्तविक घटनाओं को जानने से और उचित कार्रवाई किये जाने से रोकती है।

vi) यदि श्वान को रेबीज नही बल्कि कोई अन्य बीमारी या उग्र प्रकृति का पाया जाता है तो उसे पशु कल्याण संगठन को सौप दिया जाएगा जो 10 दिनों के अवलोकन के बाद श्वान को ठीक करने और छोडने के लिए आवश्यक कार्यवाई करेगा।

vii) जिन श्वानों की रेबीज से मृत्यु होने का संदेह है, उनके शवों को जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी भस्मक में या किसी अन्य विधि को अपनाते हुए निपटाया जाएगा।

viii) यदि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम एक पशु कल्याण संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, तो स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति द्वारा निर्धारित दर पर ऐसे श्वानों को निगरानी में रखने और इलाज के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ix) गली के श्वानों के बारे में लोगो को जागरूक करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई आउटरीच सामग्री को शहर के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित करेगा।

**17. अंगों की गिनती और निपटान :**

नर और मादा श्वानों से निकाले गए प्रजन्न अंगों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में 10% फॉर्मलाडेहाइड में संग्रहित किया जाएगा।

i) अंगों की गणना पाक्षिक या मासिक या जितनी बार स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति द्वारा तय की गई हो, एक टीम द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

(**क**) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई पशु चिकित्सा अधिकारी

(**ख**) परियोजना प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी

(**ग**) राज्य बोर्ड / एसपीसीए के प्रतिनिधि

बशर्ते कि पशु कल्याण संगठन जो पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है अंग निरीक्षण टीम का हिस्सा नही होगा।

ii) नर और मादा जननांग अंगों की संख्या और सर्जरी की तारीख के साथ चिन्हित अलग-अलग प्लास्टिक के बक्से में संरक्षित किया जाएगा।

iii) अंग निरीक्षण दल सभी अंगों की गणना करेगा और विचाराधीन अवधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की प्रगति रिपोर्ट का सत्यापन करेगा।

iv) गिने हुए अंगों को अंग निरीक्षण दल की उपस्थिति में टैटू डाई के छिडकाव और गहरे में दफन या भस्मीकरण द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। अंगों के नष्ट करने और दफनाने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और तारीख और समय की मोहर के साथ फोटो खींची जाएगी।

v) राज्य एबीसी निगरानी समिति नियमों का पालन सुनिश्चित करने और गैर-अनुपालन के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक एबीसी केंद्र में हर साल कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करेगी।

**18. गैर-अनुपालन का प्रभाव :** (1) नियम 14 में संदर्भित रिपोर्ट (रिपोर्टों) पर विचार करने के बाद यदि बोर्ड की राय है कि इन नियमों के तहत किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है या पशु क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1960 या उसके अधीन बनाए गए नियम या क्रूरता की स्थिति में, बोर्ड पशु कल्याण संगठन या पशु जन्म नियंत्रण केंद्र चलाने वाले स्थानीय प्राधिकरण को 15 दिनों के अन्दर जवाब के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

(2) पशु कल्याण संगठन या स्थानीय प्राधिकरण से लंबित उत्तर की स्थिति में, बोर्ड लिखित में कारण बताकर इसकी मान्यता को निलंबित कर सकता है।

(3) बोर्ड, निरीक्षण रिपोर्ट और कारण बताओ नोटिस के जवाब के आधार पर, इस अधिनियम के अनुसार कार्रवाई कर सकता है या जिला मजिस्ट्रेट या जिला एसपीसीए को कानून के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।

(4) यदि यह मानने का कारण है कि इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बोर्ड के पास किसी भी पशु कल्याण संगठन के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति होगी ताकि ऐसे संगठन को किसी भी जानवर के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने से रोका जा सके।

(5) बोर्ड ऐसे संगठन को किसी भी जानवर के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने के लिए किसी भी पशु कल्याण संगठन को ब्लैकलिस्ट करेगा। बशर्ते कि ऐसी ब्लैकलिस्ट केवल तभी की जाएगी जब बोर्ड द्वारा अधिकृत या संचालित निरीक्षण पर यह स्थापित हो जाए कि पशु कल्याण संगठन एक बार-बार उपराधी है या उल्लंघन की प्रकृति किसी भी रूप में जघन्य क्रूरता या भ्रष्टाचार से संबंधित है।

(6) इन नियमों के तहत किसी भी उल्लंघन को अधिनियम के तहत उपराध माना जाएगा और पशु कल्याण संगठन या स्थानीय प्राधिकरण के परियोजना प्रभारी के पदाधिकारियों पर कानून के अनुसार आरोप लगाया जा सकता है।

19. **घरेलू / फारल बिल्लियों की नसबंदी और टीकाकरण** – राज्य बोर्ड की सलाह पर, बिल्लियों की नसबंदी एक मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रशिक्षण और विशेषज्ञता के साथ बोर्ड द्वारा प्रकाशित कैट स्टरलाइजेशन और टीकाकरण के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से बिल्लियों का स्पे / न्यूटर आयोजित की जा सकती है।

(1) बिल्ली के जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बुनियादी ढांचे और खर्चो की प्रतिपूर्ति स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाएगी।

(2) जबकि श्वानों के लिए प्रदान किए गए पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में बिल्ली नसबंदी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, बिल्लियों को श्वानों के साथ नही रखा जाना चाहिए या किसी भी तरह से संपर्क में नहीं आना चाहिए।

(3) बिल्लियों की पोस्ट–ऑपरेटिव देखभाल ऐसी जगह की जानी चाहिए जहाँ वे श्वानों की आवाज / गंध से अनावश्यक तनाव से पीडित न हों।

20. **सामुदायिक पशुओं को खिलाना** – (1) यह रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन (एओए) या उस क्षेत्र के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होगी कि परिसर या उस क्षेत्र में रहने वाले सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उस क्षेत्र या परिसर में रहने वाले व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, जो उन पशुओं को खिलाता है या उन पशुओं को खिलाने का इरादा रखता है और एक दयालु भाव के रूप में सडक पर रहने वाले पशुओं की देखभाल करता है। आरडब्ल्यूए या एओए या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे :

i) श्वानों की आबादी और उनके संबंधित क्षेत्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, पारस्परिक रूप से सहमत, फीड स्पॉट नामित करना। भोजन स्थल बच्चों के खेलने के क्षेत्रों, प्रवेश और निकास बिंदुओं, सीढियों से दूर होंगे या ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहां बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कम से कम बार-बार आने की संभावना हो।

ii) बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, खेलों की आवाजाही के आधार पर भोजन का समय निर्धारित करना, जिसमें बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कम से कम बार-बार आने की संभावना हो।

iii) नामित फीडर यह सुनिश्चित करेगा कि फीडिग स्थान पर कोई बच्चे न हो या उस क्षेत्र आरडब्ल्यूए या एओए द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो।

iv) नामित फीडरों को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम में सहायता के लिए टीकाकरण, श्वानों को पकडने और छोडने के लिए स्वेच्छा से अनुमति दी जाती है।

(2) जहां आरडब्ल्यूए या एओए और पशु देखभाल करने वालों या अन्य निवासियों के बीच कोई संघर्ष है, एक पशु कल्याण समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि

(ख) क्षेत्राधिकार पुलिस के प्रतितिधि

(ग) जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के प्रतिनिधि पशु या राज्य बोर्ड

(घ) पशु जन्म नियंत्रण का संचालन करने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि

(ङ) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी

(च) शिकायतकर्ता

(छ) उस क्षेत्र के आरडब्ल्यूए या एओए या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि।

नियम 20 के उपनियम (2) के तहत गठित समिति का निर्णय फीडिंग प्वाइंट के निर्धारण के संबंध में अंतिम निर्णय होगा। समिति उस क्षेत्र में उन जानवरों को खिलाने के लिए बोर्ड द्वारा नामित कॉलोनी केयर टेकर में से व्यक्ति (व्यक्तियों) को भी नामित कर सकती है।

(3) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन या कोई फीडर आरडब्ल्यूए या एओए या स्थानीय निकाय नियम 20 के उप-नियम (2) के तहत बनाई गई समिति के निर्णय से व्यथित होने पर, अपील राज्य बोर्ड को दायर की जाएगी। राज्य बोर्ड का निर्णय उस क्षेत्र में पशुओं को खिलाने का अंतिम निर्णय होगा।

**21. अपील** – (1) परियोजना मान्यता समिति के निर्णय से व्यथित पशु कल्याण संगठन, निर्णय प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, बोर्ड को अपील कर सकता हैं;

(2) शिकायत प्राप्त होने पर बोर्ड के अध्यक्ष एक समिति का गठन करेंगे जहां बोर्ड के सदस्य और संबंधित अधिकारी शिकायत की जांच करेंगे। समिति नोटिस देने के बाद और पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद या तो अपील को खारिज कर सकती है या अनुमति दे सकती है जिसके कारण लिखित में दर्ज किये जायेंगे।

(3) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन या बोर्ड के निर्णय से व्यथित व्यक्ति, वे बोर्ड से संचार प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पशुपालन विभाग के सचिव को दूसरी अपील दायर करेंगे। पशुपालन विभाग के सचिव के निर्णय को शिकायत के संबंध में अंतिम निर्णय माना गया।

**22. जहां स्थानीय उप-नियम आदि मौजूद हैं, वहां नियमों का लागू होना :** (1) यदि स्थानीय नियम, उप-कानून, कोई अधिनियम है, तो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी के संबंध में कुछ समय के लिए विनियम लागू हैं। जिन मामलों के लिए इन नियमों में प्रावधान किया गया है, ऐसे नियम, विनियम या उप-नियम किस सीमा तक होंगे:

(क) इसमें इन नियमों में निहित प्रावधानों की तुलना में जानवर के लिए कम परेशान करने वाले प्रावधान हैं, प्रबल होंगे;

(ख) इसमें इन नियमों में निहित प्रावधानों की तुलना में जानवरों के लिए अधिक परेशान करने वाले प्रावधान शामिल हैं, कोई प्रभाव नहीं होगा

[आर-440485/13/2022-डीएडीएफ-विभाग]

डॉ. ओ.पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

## अनुसूची – I

1. प्रपत्र I

### पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र

**भाग - I**

| **1.** | **संस्था का विवरण** | |
|---|---|---|
| (क) | संस्था का नाम | |
| (ख) | संस्था का पता पिनकोड नं. सहित | |
| (ग) | टेलीफोन नंबर एसटीडी कोड के साथ और मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप नंबर) | |
| (घ) | ई-मेल पता | |
| (ङ) | संस्था का पैन नंबर | |
| (च) | स्थापना का वर्ष | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **शरणगृह / औषधालय का विवरण** | | | | | | |
| | क्र. नं. | शरणगृह / औषधालय का पता | शरणगृह की संख्या | शरणगृह का क्षेत्रफल | छोटे पशुओं की संख्या | बडे पशुओं की संख्या | प्रकार (शरणगृह / औषधालय) |
| | 1. | | | | | | |
| | 2. | | | | | | |
| **3.** | **पदाधिकारियों / शासी निकाय / प्रबंधन समिति का विवरण** | | | | | | |
| | नाम | पद का नाम | पता | फोन नंबर / मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप नंबर) | | ई-मेल पता | आधार नंबर |
| | 1. | | | | | | |
| | 2. | | | | | | |
| | 3. | | | | | | |
| **4.** | **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम / भारतीय न्यास अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, आदि के तहत वर्ष के साथ पंजीकरण संख्या (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें नवीकरण के साथ, यदि कोई हो, विधिवत नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)** | | | | | | |
| **5.** | **नीति आयोग एनजीओ पोर्टल पर पंजीकरण का विवरण-तिथि और विशिष्ट आईडी नंबर (एक फोटोकॉपी संलग्न करें) (अनिवार्य)** | | | | | | |
| **6.** | **मेंमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उपनियम / संगठन का संविधान (कृपया नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित संशोधन के साथ एमओए की प्रति संलग्न करें, यदि कोई हो** | | | | | | |
| **7.** | **विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकरण का विवरण - पंजीकरण की संख्या और तिथि (कृपया पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)** | | | | | | |
| **8.** | **आयकर अधिनियम के तहत 80 जी छूट का विवरण, यदि कोई हो (संख्या, तिथि और संलग्नक)** | | | | | | |
| **9.** | **आय के स्रोत का विवरण (राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विदेशी एजेंसियों और अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान)** | | | | | | |
| | राज्य सरकार से | | | | | | |
| | केंद्र सरकार से (एडब्ल्यूबीआई के अलावा) | | | | | | |
| | दान से | | | | | | |
| | विदेशी एजेंसियों से | | | | | | |
| | अन्य स्रोतों से | | | | | | |
| | **कुल** | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** (i) | **संस्था के मुख्य उद्देश्य** | | |
| **10** (ii) | **पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय के प्रतिशत के साथ संस्था की गतिविधियां** | **गतिविधियां** | **व्यय का प्रतिशत** |
| | | आवारा पशुओं / बडे पशुओं को आश्रय देना | |
| | | आवारा श्वानों और अन्य छोटे पशुओं को आश्रय देना | |
| | | पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम | |
| | | औषधालय / उपचार | |
| | | पशु रोगी वाहन सेवाएं / मोबाइल पशु क्लिनिक | |
| | | पशुओं का बचाव / पुनर्वास | |
| | | पशु कल्याण के लिए जागरूकता / प्रशिक्षण | |
| | | पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** (iii) | **लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार अन्य गतिविधियॉं** | | |
| | **क्र. सं.** | **गतिविधियां** | **व्यय का प्रतिसत** |
| | 1. | | |
| | 2. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11.** | **वर्ष के दौरान आश्रय / इलाज / बचाए गए पशुओं की संख्या का विवरण** | | | | |
| (i) | वर्ष के दौरान बचाए गए पशुओं की संख्या | | | | |
| (ii) | पिछले एक वर्ष में संस्था द्वारा उपचारित पशुओं की संख्या<br>**नोट:** (*जैसा कि संस्था द्वारा बनाए गए पशु उपचार रजिस्टर से सत्यापित है*) | | | | |
| | उनके इन-हाउस डिस्पेंसरी / अस्पताल में | मौके पर बीमार और घायल जानवर | चिकित्सा शिवरों में | मोबाइल क्लीनिक द्वारा | **कुल** |
| | | | | | |
| (iii) | आश्रय वाले पशु की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें) | | | | |
| (iv) | अधिकार क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पशु सत्यापन प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी संलग्न करें) | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **12.** | **उपलब्ध औषधालय / चिकित्सा सुविधाओं का विवरण** | | | |
| | औषधालय / स्वास्थ्य सुविधा का पता | ओटी (उपलब्ध या नहीं) | चिकित्सकीय संसाधन | विवरण संलग्न किया जाना है |
| | | | | |
| **13.** | **क्या रोगी वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉली उपलब्ध है, यदि हॉं** | | | |

| | क्र.सं. | वाहन का मॉडल | खरीदने की तारीख | कि.मी. | खरीद की लागत | उपयोग का उद्देश्य | लॉग बुक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | | | | | | |
| | 2. | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | **क्या संस्था किसी मुकदमे में शामिल है ? यदि हां तो नवीनतम स्थिति सहित उसका विवरण और इसने संस्था के कामकाज को कैसे प्रभावित किया है ?** | |
| 15. | **संस्था / शरणगृह में कर्मचारियों का विवरण** | |

| | कर्मचारी का नाम | आयु | आधार नंबर | वेतन | शिक्षा | पद का नाम | प्रकार (पूर्णकालिक / अंशकालिक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 16. | **पिछले वर्ष के दौरान पीसीए अधिनियम के तहत दायर अदालती मामलों की संख्या** | |
| 17. | **पिछले वर्ष के दौरान पीसीए अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) की संख्या** | |
| 18. | **प्रबंधन समिति की बैठकों की आवधिकता (पिछले एक वर्ष की पशु कल्याण गतिविधियों के लिए अपनाए गए संकल्प की प्रतियां संलग्न करें)** | |
| 19. | **पिछले तीन वर्षों की गतिविधि रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, यदि कोई हो** | |
| 20. | **बैलेंस शीट और आय-व्यय विवरण सहित वार्षिक लेखा परीक्षित खातों की प्रति, यदि कोई हो** | |
| 21. | **संस्था के नाम पर बैंक खाते का विवरण** | |

| | बैंक का नाम | शाखा का पता | आईएफएस कोड | खाता संख्या | खाता धारक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**भाग – II**

| | | |
|---|---|---|
| 22. | **पशु जन्म नियंत्रण केंद्र (केंद्रों) का विवरण** | |
| | केंद्र का नाम | केंद्र का पता |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23. | **चालू वर्ष में प्रस्तावित बंध्यीकृत या लक्षित और प्रतिरक्षित किए जाने वाले जानवरों की कुल संख्या** | | |
| (i) | नर श्वान | मादा श्वान | कुल |
| | | | |
| (ii) | इस उद्देश्य के लिए किया जाने वाला कुल व्यय | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **24.** | **इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य एजेंसी / सरकार / विभाग से प्राप्त सहायता अनुदान / प्रतिपूर्ति अनुदान का विवरण, यदि कोई हो** | | | | |
| | क्र. सं. | राशि | कहां से प्राप्त | वर्ष | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **25.** | **पिछले 5 वर्षों में किए गए पशु जन्म नियंत्रण शल्य चिकित्सा कार्यों का विवरण (वर्ष - वार विवरण)** | | | | |
| | क्र. सं. | नर श्वान | मादा श्वान | कुल | वर्ष |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **26.** | **प्रस्तावित योजना को क्रियान्वित करने के लिए संगठन के पास उपलब्ध अवसंरचना / सुविधाओं का विवरण** | |
| (क) | क्या आपके पास ऑपरेशन थियेटर के साथ एक डिस्पेंसरी है ? | ☐ हां ☐ नहीं |
| (ख) | उपलब्ध आटोक्लेव की संख्या | |
| (ग) | क्या दवाओं और उपकरणों के लिए भंडार कक्ष उपलब्ध है ? | ☐ नहीं ☐ |
| (घ) | श्वानों को पकडने का तरीका | |
| (ङ) | क्या आपके पास स्वयं के श्वान को पकडने वाले है, यदि नहीं तो उस एजेंसी का नाम जो श्वानों को पकडेगी और रिहा करेगी | |
| (च) | प्रशिक्षित पशु संचालकों (एनीमल हैण्डलर्स) की संख्या | |
| (छ) | पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाने की मासिक क्षमता | |
| (ज) | केनलों की संख्या एवं उनका माप / सुविधाओं का विवरण | |
| | **केनल की संख्या** | |
| | **क्षेत्र** | |
| (झ) | ऑपरेशन थियेटर और अन्य बुनियादी ढाँचे का विवरण | |
| | **(अ)** पूर्व-संचालन तैयारी क्षेत्र | ☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं |
| | **(आ)** ओ.टी. में वातानुकूलन | ☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं |
| | **(इ)** बंधीकृत श्वानों की पहचान करने की विधि ((जैसे कान का कत्तरना) | |
| | **(ई)** जल निकास | ☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं |
| | **(उ)** उपकरणों की सफाई और स्टेरिलाइज करने के लिए कमरा / क्षेत्र | ☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं |
| | **(ऊ)** उपलब्ध सर्जिकल उपकरणों के सेट की संख्या | |
| | (ए) बुनियादी उपकरणों की संख्या | |
| | दगाई मशीन | |
| | ओ.टी. टेबल | |
| | स्ट्रेचर | |
| | ऑटोक्लेव | |
| | फ्रिज | |
| **27.** | **क्या नगर पालिका / नगर निगम / संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है ? ( यदि हां, तो समझौता** | ☐ हां ☐ नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| | **ज्ञापन की प्रति संलग्न करें)** | |
| **28.** | **क्या वर्ष के दौरान आपके क्षेत्र में श्वानों की जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है यदि हां, तो रिपोर्ट संलग्न करें** | ☐ हां ☐ नहीं |
| **29.** | **इस परियोजना में अन्य सहयोगी संस्थाओं का विवरण ?** | |
| | क्र.सं. | संस्था का नाम और पता |
| | | |
| **30.** | **निगरानी समिति का विवरण** | |
| | क्र.सं. | समिति के सदस्यों के नाम और पता |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **31.** | **अन्य जानकारी, यदि कोई हो** | |

**घोषणा**

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी और दस्तावेज मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसर सत्य और सही हैं और फॉर्म में कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है

हस्ताक्षर और मुहर (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

संस्था के शासी निकाय के लिए और उसकी ओर से

नाम :

पद :

टिप्पणी

दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हैं, जमा करने के समय उनका हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करें।

3. प्रपत्र – II

परियोजना मान्यता का प्रमाण पत्र

4. प्रपत्र – IV

प्रपत्र – I के भाग – II के अनुसार परियोजना मान्यता का नवीनीकरण

5. प्रपत्र – V

परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

## अनुसूची – II

## निगरानी समितियों का गठन

**1. केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति :**

**केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जायेगा:**

क) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 को प्रशासित करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे।

ख) पशुपालन विभाग के आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

ग) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी

घ) पंचायती राज विभाग मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी

ङ) अध्यक्ष, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

च) अध्यक्ष, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

छ) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

ज) राज्य में पशु जन्म नियंत्रण समन्वय में सक्रिय रूप से लगे प्रमुख राज्य पशु कल्याण बोर्डों के दो प्रतिनिधि

झ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का प्रशासन करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव के स्तर पर एक अधिकारी केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति का सदस्य सचिव होगा।

**केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति के कार्य :**

केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :

i) पशु जन्म नियंत्रण नियमों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना।

ii) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को बढावा देना और राज्यों में पशु जन्म नियंत्रण के लिए बजटीय प्रावधान की व्यवस्था करना।

iii) अंतर-मंत्रालयी समन्वय की सुविधा और पशु जन्म नियंत्रण से संबंधित मुद्दों को भी हल करना।

iv) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक नीगिगत हस्तक्षेप से संबंधित मामले।

v) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कोई अन्य मामले।

vi) पशु कल्याण संगठन की मान्यता रद्द करने के संबंध में शिकायतों की सुनवाई कर सकता है और बोर्ड को आवश्यक निर्देश या आदेश पारित कर सकता है जैसा भी मामला हो।

vii) गली के श्वानों के नियंत्रण और प्रबंधन, टीकों के विकास और नसबंदी, टीकाकरण आदि की लागत प्रभावी विधियों से संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर नजर रखना।

**समिति की बैठक :** केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति की छह महीने में एक बार या जब भी आवश्यक हो बैठक होगी।

**2. राज्य कार्यान्वयन और निगरानी समिति :**

पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को अंजाम देने के इरादे से प्रत्येक राज्य, राज्य कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन करेगा। समिति का गठन इस प्रकार है :

क) शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या राज्य या संघ शासित प्रदेश में समकक्ष राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

ख) निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

ग) निदेशक, पंचायती राज विभाग

घ) निदेशक, शहरी विकास विभाग (या समकक्ष)

ङ) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के दो प्रतिनिधि

च) राज्य पशु कल्याण बोर्ड के दो प्रतिनिधि

छ) उस राज्य या संघ शासित प्रदेश में कम से कम 2 नगर निगमों के प्रशासनिक प्रमुख, और कम से कम 2 पंचायतों और कम से कम 2 नगर परिषदों के प्रतिनिधि

ज) राज्य पशु कल्याण बोर्ड के प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव के साथ-साथ प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

**नोट :** बोर्ड या राज्य बोर्ड का कोई भी प्रतिनिधि सीधे उस अधिकार क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए।

**राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति के कार्य :**

राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समितियां निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होंगी :

i) पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समितियों की स्थापना।

ii) राज्य भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में श्वानों की आबादी प्रबंधन के लिए एक व्यापक जिलावार योजना विकसित करना (जिसमें बुनियादी ढांचे, बजट आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है)

iii) जिला और राज्य योजना के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के लिए भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अपेक्षित प्रशिक्षण और अनुभव रखने वाली पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचीबद्ध करना। इसमें राज्य का पशुपालन विभाग शामिल हो सकता है जो भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के परामर्श से और तकनीकी मार्गदर्शन में काम कर रहा है।

iv) यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है, और अन्य पूंजीगत लागत (जिसमें पूरी तरह से सुसज्जित पशु जन्म नियंत्रण सुविधाएं / एम्बुलेंस और उपकरण के साथ परिसर शामिल हैं, लेकिन इतनी ही सीमित नहीं हैं), और जनशक्ति लागत सहित पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अन्य सभी खर्च पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थानीय अधिकारियों से उपलब्ध कराया जाता है, और पशु जन्म नियंत्रण नियमों के नियम 6 के अनुसार समय पर ढंग से प्रतिपूर्ति की जाती है।

v) स्थानीय अधिकारियों द्वारा राज्य में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार।

vi) राज्य निगरानी समिति भी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान पशु जन्म नियंत्रण और पशुओं के प्रति क्रूरता और पशु जन्म नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत की प्राप्ति / उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत की प्राप्ति पर निरिक्षण करेगी और उचित कार्रवाई करेगी।

**समिति की बैठक :** समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार या जब भी आवश्यक हो बैठक करेगी।

**3. स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन :**

स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति के गठन के बिना कोई भी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार स्थानीय स्तर पर पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति की स्थापना अनिवार्य है। समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किा जाएगा :

क) नगर आयुक्त या स्थानीय प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

ख) जिले के जन स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि।

ग) पास के बलॉक या जिले के पशुपालन विभाग का प्रतिनिधि।

घ) एक क्षेत्राधिकार वाले पशु चिकित्सक

ङ) जिला पशु क्रूरता निवारण समिति (एसपीसीए) का एक प्रतिनिधि

**समिति के कार्य :**

समिति इन नियमों के अनुसार श्वान नियंत्रण कार्यक्रम की योजना और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। समिति निम्न भी कर सकती है :

(**क**) बंध्यीकरण, टीकाकरण या इलाज किए गए श्वानों को पकडने, परिवहन, आश्रम, नसबंदी, टीकाकरण, उपचार और छोडने के लिए निर्देश जारी करना।

(**ख**) पशु चिकित्सक को मामले के आधार पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकती है कि सोडियम पेटाथोल का उपयोग करके गंभीर रूप से बीमार या घातक रूप से घायल या पागल श्वानों को दर्द रहित तरीके से सुखमयमृत्यु की आवश्यकता है। कोई अन्य तरीका सखत रूप से वर्जित है। दो पशु चिकित्सा

अधिकारियों और एक मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संस्था के एक प्रतिनिधि की एक उप-समिति के माध्यम से निर्णय लिया जाना है। उप-समिति प्रत्येक जानवर की सुखमयमृत्यु के लिए लिखित में कारण बताएगी।

**(ग)** जन जागरूकता पैदा करना और सहयोग और वित्त पोषण मांगना।

**(घ)** पालतू श्वान के मालिकों और वाणिज्यिक प्रजनकों को समय-समय पर दिशानिर्देश प्रदान करना।

**(ङ)** श्वान के काटने के मामलों की निगरानी के उद्देश्य से और श्वान के काटने के कारणों का पता लगाने के लिए, इस तरह के कदम उठाएं उस क्षेत्र में जहां यह हुआ था और क्या यह एक आवारा या पालतू श्वान से था। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित प्रारूप में मानव अस्पताल से विवरण एकत्र किया जा सकता है।

**(च)** भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा सुझाए गये तरीके से संगणना आयोजित करके अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर श्वानों की सख्या का अनुमान लगाएं।

**(छ)** श्वानों की अनुमानित संख्या के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांच का विकास सुनिश्चित करें। ऐसा करने के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार के समन्वय से राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति को प्रस्तुत करना होगा।

**(ज)** एक नया क्षेत्र लेने से पहले लक्षित क्षेत्र में कम से कम 70% श्वानों के चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रवार पशु जन्म नियंत्रण करने के लिए बुनियादी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा। बुनियादी ढांचे में ऑपरेशन से पहले की तैयारी के क्षेत्र, ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट-ऑप केयर, किचन, राशन और दवाओं के लिए स्टोर रूप, पार्किंग क्षेत्र, पशु चिकित्सकों और परिचारकों के लिए आवासीय कमरे, क्वारंटाइन वार्ड, एम्बुलेंस आदि शामिल हैं यद्यपि यह इसी तक सीमित नहीं है।

## अनुसूची – III

## पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट

**दिनांक :** **प्रेषण संख्या :**

**माह / वर्ष :**

**पीआईए का नाम :**

**स्थानीय निकाय का नाम :**

**एबीसी केंद्र का पता :**

| क्र. सं. | पशु चिकित्सक का नाम – डॉक्टर | योग्यता | पंजीकरण संख्या | पंजीकरण प्राधिकरण | पिछले महीने में आयोजित सर्जरी की संख्या | पोस्ट ऑपरेटिव जटिलताओं की संख्या | पिछले महीने में मृत्युदर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| **माह के लिए कुल योग** | | | | | | | |

**पीआईए*** के परियोजना प्रभारी पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर और तिथि :

**एमवीओ* / जेवीओ* के हस्ताक्षर और तिथि** **डीवीओ* के हस्ताक्षर और तिथि**

**एमवीओ / जेवीओ का नाम** **डीवीओ का नाम**

**एमवीओ / जेवीओ का मोहर** **डीवीओ की मोहर**

* पीआई : परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

** एमवीओ : स्थानीय निकाय द्वारा तैनात नगर पशु चिकित्सा अधिकारी।

** जेवीओ : क्षेत्र के शासकीय पशु चिकित्सालय में पदस्थ क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी।

** डीवीओ : पशुपालन विभाग के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी / संबंधित जिले के जिला एसपीसीए के पदेन सदस्य सचिव।

**एबीसी-एआरवी पिरयोजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट**

**दिनांक :** **प्रेषण संख्या :**

**माह / वर्ष :**

**पीआईए का नाम :**

**स्थानीय निकाय का नाम :**

**एबीसी केंद्र का पता :**

| दिनांक | नर श्वानों की संख्या | मादा श्वानों की संख्या | कवर किए गये श्वानों की कुल संख्या | अवलोकन के तहत श्वानों की संख्या | मृत्युदर | एमीवओ / जेवीओ द्वारा सत्यापन | डीवीओ द्वारा सत्यापन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| माह की पहली तारीख | | | | | | | |
| माह की दूसरी तारीख | | | | | | | |
| निरंतर महीने की | | | | | | | |
| अंतिम तिथि तक | | | | | | | |
| **कुल योग** | | | | | | | |

**पीआईए*** के परियोजना प्रभारी पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर और तिथि :

**एमवीओ* / जेवीओ* के हस्ताक्षर और तिथि** **डीवीओ* के हस्ताक्षर और तिथि**

**एमवीओ / जेवीओ का नाम** **डीवीओ का नाम**

**एमवीओ / जेवीओ का मोहर** **डीवीओ की मोहर**

* पीआई : परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

** एमवीओ : स्थानीय निकाय द्वारा तैनात नगर पशु चिकित्सा अधिकारी।

** जेवीओ : क्षेत्र के शासकीय पशु चिकित्सालय में पदस्थ क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी।

** डीवीओ : पशुपालन विभाग के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी / संबंधित जिले के जिला एसपीसीए के पदेन सदस्य सचिव।

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**

**(Department of Animal Husbandry and Dairying)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2022

**Animal Birth Control Rules, 2022**

**G.S.R. 656(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-sections (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), in supersession with the S.O. 1256 (E) published on 24th December, 2001 and amended vide S.O. 303(E) dated 8th February, 2011,except asrespect things done or omitted to be done before such supersession,the Central Government is proposing to publish draft rules for public comments within sixty days of the publication of the draft rules in the Gazette of India.

Any person desiring to make any suggestion or objection in respect of the said draft rules may forward the same for consideration of the Central Government, within the period specified above, to the Joint Commissioner (Animal Welfare), Cabin No. 6, Chander Lok Building, Janpat, New Delhi -110001.

**1. Short title and commencement :**(1) These rules may be called the Animal Birth Control Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

**2. Definition:** In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

(b) “Animal Birth Control Center” means a veterinary facility with surgical infrastructure, post-operative care kennels, quarantine kennels, isolation kennels, dog transport vehicles with necessary logistics and other such facilities as prescribed by the Board, built for the purpose of carrying out the Animal Birth Control Program for street dogs.

(c) “Animal Shelter” means place where stray or street or abandoned animals are kept for adoption or rehabilitation, general treatment while they are ill or injured.

(d) “Animal Welfare Committee” means committee constituted under these rules for resolution of the community dog feeding;

(e) "Animal Welfare Organisation" means any organization working for welfare of animals which is registered under the Societies Registration Act of 1860 (21 of 1860) or any corresponding law for the time being in force and which is recognized by the Animal Welfare Board of India as per the extant policy of the Board.

(f) "Board" means the Animal Welfare Board of India, established under section 4 and as reconstituted under Section 5A of the Act;

(g) “Certificate” means the Certificate of Project Recognition issued by the Board to any Animal Welfare Organization or Local Authority for the purpose of the Animal Birth Control Programme under these Rules.

(h)“Committee" means a monitoring committee established under these rules

(i) “Community Animals” means any animal born in a community for which no ownership has been claimed by any individual or an organization, excluding wild animals as defined under the wildlife Protection Act, 1972 (53 of 1972)

(j) “Inspection Team” means team authorised by the Board or State Board under Rules.

(k) “Local Authority" means a Municipal Committee, Municipal Council, District Administration, District Panchayats/Board, Cantonment Board or other authority for the time being invested by the law with the control and administration of any matters within a specified local area;

(l) "Owner" means the owner of an animal and includes any other person in possession or custody of such animal whether with or without the consent of the owner;

(m) "State Board" means the State Animal Welfare Board constituted, in a State, by the State Government.

(n) "Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)" means a SPCA established under the Rules framed under this Act;

(o) "Veterinary practitioner" means a veterinary practitioner registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (*52 of 1984*).

(p) "Jurisdictional Veterinary Officer" Veterinary Officer of the Animal Husbandry Department deployed at the Government Veterinary Hospital of the Animal Husbandry Department of the area.

(q) "Project In-charge" means Veterinary Officer deployed by the Local Authority for conducting the Animal Birth Control program for street dogs. Project in-charge of the Local Authority shall be a Veterinary Officer on the Regular Payroll of the Local Authority or State Government.

(r) "Project Recognition Committee" means committee constitute by the board for the scrunity and examination on the applications of the Project Recognition of the Animal Birth Control programme

(s) "Animal Birth Control program" means Birth Control program carried out for animal under these Rules by a local authority or an animal welfare organisation.

(t) "Module" means document in writing for Dog Population Management and Rabies Eradication published and updated by the Board from time to time, which shall serve as the Standard Operating Procedure for Animal Birth Control program for street dogs.

**3. Project Recognition:**

The local authority may conduct the Animal Birth Control program through their own veterinary officers, or if required, local authority may engage the services of an Animal Welfare Organisation which is duly recognised by the Board for Animal Birth Control and which has the requisite training, expertise and human resources, for conducting the Animal Birth Control program. Under both conditions, obtaining a Certificate Project Recognition from the Board shall be mandatory.

(1) No local authority or organisation shall undertake, conduct or organise animal birth control program for street dogs without a Certificate of Project Recognition from the Board.

(2) Any Animal Welfare Organization which is not disqualified from contracting under any law for the time being in force, may apply for Project Recognition by submitting their application in the Form-I appended to the First Schedule with a non-refundable fee of Rs 5,000/- (Five thousand rupees only) to the Board.

(3) Any Animal Welfare Organisation applying for Project Recognition under these Rules must be already recognised as an Animal Welfare Organisation by the Board.

(4) If a Local Authority is conducting the animal birth control program through its own veterinary officers, the Project In-charge of the Local Authority shall obtain Project Recognition from the Board. The application fee will be exempt if the Animal Birth Control program will be executed by Veterinary Officers of the Local Authority. All other conditions and the Module published by the Board will be applicable.

(5) An applicant applying for Project Recognition for conducting the Animal Birth Control Programme shall be required to make separate applications for each separate Animal Birth Control Center.

(6) Applicant seeking aProject Recognition shall submit the attested copy of the Registration Certificate issued by Veterinary Council of India/ State Veterinary Council, for each Veterinary Doctor, who will be deployed on particular project. Applicant shall submit a copy of experience certificate issued by Government Authority. The Vet/Vets proposed to be deployed by the Applicant must have total combined experience of having conducted at least 5,000 Animal Birth Control Surgeries in case of deployment in the area of a Municipal Corporation and total combined experience of having conducted at least 2,000 Animal Birth Control Surgeries in case

of deployment in the area of a Nagar Palika, Nagar Panchayat, Village Panchayats or other Rural Local Bodies.

(7) the Board shall constitute a Project Recognition committee for recognition of the projects;

(8) the Board shall upon receipt of the application for project recognition direct the Animal Husbandry Department of the concerned State to inspect the proposed Animal Birth Control Center and confirm the availability of requisite facilities in accordance with the Module published by the Board. The inspection must be conducted by a team comprising of:

i) Chief Veterinary Officer of the District

ii) Nodal Officer of the State Animal Birth Control Monitoring Committee

iii) Representative of the Board or the State Board.

(9) The inspection team must submit a report signed by all the members of the inspection team as per the inspection Performa prescribed by the Board within a period of ten days from date of inspection.

(10) The Project Recognition Committee, after consideration of the inspection report under sub-rule (8) and on being satisfied that the Animal Birth Control Center is complying with the requirements as specified under these Rules, may recommend issuing the Certificate of Project Recognition for Animal Birth Control programme.

(11) Based on the recommendation of the Project Recognition Committee, the Board may issue recognitioncertificate for the specific project under these rules which shall be non-transferable.

(12) Project In-charge of the Local Authority or Veterinarian of the Organisation shall ensure that the Certificate of Project Recognition is prominently displayed at the Animal Birth Control Center and such certificate shall also be produced on the request of the inspection authority.

**4. Refusal of recognition:** The Board shall not recognise any Project operated by the Local Authority or Animal Welfare Organisation under these rules, if—

(1) The information submitted by the Local Authority or Animal Welfare Organisation is found to be false or if the applicant has made deliberate misstatements in the application or provided falsified or fabricated records to the Board;

(2) The Animal Welfare Organisation at any stage prior to submission of the application for recognition under these rules, has been convicted of any offence under this Act and/or Rules made thereunder, or any other State or Central Act promulgated for the protection of animals or for any offence relating to animals under any other law for the time being in force;

(3) The Animal Welfare Organisation has refused to allow the inspection team to perform inspection in the entire premises or part of the premises, or denied access to the documents or any records as mandatory under these rules.

(4) If the Project Recognition committee considers that the infrastructure and available manpower at the Animal Birth Control Center is not commensurate with the prescribed requirements, the Board may reject the application giving reasons in writing within a period of 30 days from the receipt of the Report from the Inspection team as in Rule 3(7) above.

**5.Prohibition without recognition:** No Animal Birth Control Program for street dogs shall be conducted unless the Local Authority or the Animal Welfare Organisation has obtained a certificate of Project Recognition for conducting such a program under these Rules.

Provided that any local authority or animal welfare organization referred to in the first proviso fails to apply for the certificate of Project Recognition within a period of six months or has been refused the Project Recognition for any reason specified under these rules, then the concerned local authority shall discontinue such animal birth control programme. In case any dog catching or surgeries have been conducted then the same shall be stopped immediately and all the dogs shall be treated by the Project In-charge or an animal welfare organisation, until they are fit to be released.

**6. Renewal of recognition:**

**(1)** A certificate of Project Recognition for Animal Birth Control Center issued by the Board shall be valid for a period of three years from the date of recognition and may be renewed upon receipt of an application being made to the Board under these Rules.

An application for renewal of recognition shall be made, at least sixty days prior to the expiry of the Project Recognition for Animal Birth Control program, to the Board in the Form-IV appended to the First Schedule with a non-refundable Renewal Fee of five thousand rupees to the Board. The provisions of rule 3 shall *mutatis mutandi* apply.

(2) The Board, after consideration of the inspection report submitted by inspection authority under sub-rule (*3*) of Rule 3 and on being satisfied that the Animal Birth Control Center is complying with the requirements as specified under these rules, may renew the Certificate of Project Recognition of the Animal Birth Control Center by issuing renewal in the format as given in Form-V appended to the First Schedule.

*(3)* A renewal for the Certificate of Project Recognition issued by the Board shall be valid for a period of three years, renewable upon receipt of an application and Renewal Fee by the Board under these Rules.

**7. Classification of animals:** Animals classified for the purpose of these rules are as under

(a) Pet animals – dogs owned and kept indoor by individuals.

(b)Street dogs or community owned Indian dogs or abandoned pedigreed dogs which are homeless, living on the street or within a gated campus.

**8. Responsibility for Vaccination and Sterilization:** (1) In case of pet animals the owner of the animal shall be responsible for the deworming, immunization and sterilization.

(2) In case of street animals, the local authority shall be responsible for deworming, immunization and sterilization and may engage an Animal Welfare Organisation duly recognised by the Board to carry out the animal birth control program in accordance with these Rules.

**9. Formation of Monitoring Committees and its Functions:** The Monitoring Committees shall be constituted for effective implementation of Animal Birth Control Programs in accordance with these Rules to control the population of street animals, for eradication of rabies and for reducing man-animal conflict. The Monitoring Committees shall be constituted as follows:

(1) A Central Animal Birth Control Monitoring &Coordination Committee for Dog Population Management and Rabies Eradication shall be constituted to ensure coordination between different stakeholders at the Central Government and between the Central Government and the State Governments. The constitution of the Committee and its functions shall be prescribed in Schedule-II.

(2) A State Animal Birth Control Implementation & Monitoring Committee shall be constituted at the State /Union Territory level in all States and Union Territories. This Committee shall coordinate the implementation of the Animal Birth Control Program across the State in a scientific and phase-wise manner. The constitution of the Committee and its functions shall be prescribed in Schedule-II.

(3) A Local Animal Birth Control Monitoring Committee shall be constituted at the Local Authority level in all States and Union Territories. The constitution of the Committee and its functions shall be prescribed in Schedule-II.

**10. Obligations of the Local Authority:**

(1) The local authority shall ensure following facilities are available in each Animal Birth Control Center within their jurisdiction:

(a) sufficient number of kennels and veterinary hospital facilities which may be managed by local authority or animal welfare organization;

(b) requisite number of vans with necessary modifications for safe handling and transportation of dogs;

(c) A mobile Operation Theatre Van equipped with surgical infrastructure to be provided as mobile center for sterilisation and immunization for smaller local bodies, where considered necessary and where kennels for post-operative care are available;

(d) incinerators to be installed by the local authority for disposal of organs and carcasses. Where an incinerator is not feasible, deep burial method may be adopted.

(e) periodic repair and maintenance of Animal Birth Control Center.

(f) Close Circuit Television (CCTV) to be installed in the entire premises specifically in the Operation theatre and where the animals are housed at Animal Birth ControlCentre, and shall maintain the record of video surveillance for a minimum of three months or as specified from time to time by the Board or State Board. The video recordings may be made available for the inspecting authority, monitoring committee or the Board upon enquiry or request.

(g) cleanliness and hygiene to be maintained at all times at the Animal Birth Control Center.

(h) records for catching, release, medicine, surgery, feeding, vaccinations of all animalsbrought to the Animal Birth Control Centerto be maintained.

(2) The local authority shall reimburse the expenses of sterilization/ immunization on a regular basis, if the services of an animal welfare organisation have been engaged.

(3) The Local Animal Birth Control Monitoring Committee shall be constituted by the Local Authority and it shall meet at least once every month to assess the progress made with regard to implementation of the Animal Birth Control Program.

(4) The local authority shall inquire into the matter of violation of these rules on receipt of the complaint against the Animal Birth Control Center and shall terminate or suspend any engagement with such an organisation on the basis of the recommendation of the Local Animal Birth Control Monitoring Committee or the Board.

**11. Capturing/sterilization/immunization/release:**

(1) Capturing of street dogs shall be conducted for the following reasons only:

(a) **General purpose:** for which the local authority in consultation with the Monitoring Committees shall decide to control the excess population of street dogs through animal birth control program in a specific area or region.

(b) **Specific complaints:** for which the local authority in consultation with the Monitoring Committee shall set up an Animal Complaint Cell at the Animal Birth Control Centerto receive information or complaints about dog bites from street dogs suspected to be suffering from Rabies.

(2) The dog capturing team shall consist of:

(i) The driver of the van

(ii) Two or more trained employees of the local authority or Animal Welfare Organisation who are trained in humanely capturing street dogs.

(iii) One representative of any of the Animal Welfare Organization nominated for the purpose.

Each member of the capturing squad shall carry a valid identity card issued by the local authority.

(3) Before the street dogs are captured in any locality, the representative of the local authority or of the Animal Welfare Organization shall put up banners/public notices making announcement informing residents that animals will be captured from the area for the purpose of sterilization and immunization and will be released in the same area after sterilization and immunization. The announcement may also briefly educate the residents of the area about the animal birth control programme and solicit the support of all the residents reassuring them that the local authority is taking adequate steps for their safety and the safety of the animals. Such outreach efforts shall be instituted at each Animal Birth Control Center as well.

(4) The capturing of the animals shall be done by using humane methods such as net catching or hand catching or any other manner that is less irksome to the animal. Use of tongs or wires for catching dogs shall be strictly prohibited.

(5) Only a stipulated number of animals, according to the housing capacity of the Animal Birth Control Center, shall be captured. Dogs from only one area shall be brought for sterilization, immunization at a given time in Animal Birth ControlCenter. Effort must be made to avoid bringing into contact dogs from different areas.

(6) All the dogs caught shall be identified with a numbered collar immediately upon arrival at the Animal Birth ControlCenter. The number shall correspond to capture records to ensure that each dog is released, in the same area from where it was captured, after sterilization and immunisation.

(7) Street dogsunder the age of six month shallnot be captured forand undergo sterilization.Female animals with puppies shall not be captured for sterilization till their litter is 2 months of age.

(8) The captured animals shall be brought to the Animal Birth ControlCenter having Certificate of Project Recognition from the Board and managed by the Local Authority or Animal Welfare Organisation where they shall be examined by veterinary practitioners. Healthy animals should be separated from sick or injured animals. The sick or injured animal shall be given adequate treatment. The treated animals should be sterilized only after their recovery.

(9) The kennels where the dogs are kept should be marked by visibly writing the name of the locality on each kennel door. The kennels for individual dogs should be at least 3 feet wide, 4 feet deep and at least 6 feet high. Kennels for 3 to 5 dogs can also be provided for, where each dogs gets at least 3 feet by 4 feet floor space. The kennel should be provided with a door or gate of vertical iron bars. The gaps between adjacent bars should be no more than 2 inches. Adequate roofing is necessary to provide shade and shelter from inclement weather and also to prevent the dogs from escaping. Care should be taken while designing the kennel to ensure that there is sufficient cross ventilation of air through the kennels. The kennels should be designed to have a raised area at the rear of the kennel where the dog may lie down comfortably. There must be proper drainage system in all kennels to facilitate cleaning.

(10) Dogs from the same family/social group may be kept one single kennel. Male and female dogs must be housed separately. The dogs shall be kept in quarantine kennels for 12 hours before surgery, without food or water.

(11) Sterilization surgery and vaccination must be performed by a Veterinarian under the close supervision of the Jurisdictional Veterinary Officers of the Local authority in a well-equipped Operation Theatre. The approved surgical procedures and the minimum requirements shall be as prescribed by the Board in the Module.

(12) A 'V' shaped notch shall be made on the right ear of each dog during sterilization surgery. Such clipping of the ear helps in identification of the dog as sterilized and immunized, once it is back on the street. Branding of dogs shall not be permitted.

(13) After recovering from the surgery, the dogs shall be kept in kennels for at least four days after the sterilization for post-operative care. Adequate and healthy food twice a day and potable drinking water at all times must be provided to each dog.

Male and female dogs should be housed separately.

(14) The Animal Birth Control Center shall have sufficient space for proper housing and free movement of dogs. The place should have proper ventilation and natural lighting and must be kept clean.

(15) The dogs shall be released at the same place or locality from where they were captured and the date, time and place of their release shall be recorded after their complete recovery. The representative of the local authority or of the animal welfare organization shall accompany the team at the time of release. From time to time, the Board may prescribe a suitable application for geo-tagging the location of the dogs during capture and release.

(16) In order to carry out the Animal Birth Control surgeries safely and humanely, the Implementing Agency shall abide by the directions given by the Board regarding the Standard Operating Procedures in the Module from time to time.

**12. Records to be maintained:**

The Project In-charge of the Local Authority or the Animal Welfare Organisation shall maintain the following records at the Animal Birth Control Center:

(1) Record of animals captured including the following;

(i) the name of the area/locality from where the dog was captured,

(ii) date and time of capture,

(iii) names of persons in the capturing squad responsible for the capture,

(iv) details about dogs captured –tag number of the dog, number of males, females, colour, identification marks and approximate age.

(2) Feeding Record for each kennel and Food Inventory

(3) Treatment Record for each dog

(4) Medicine and Vaccine Inventory

(5) Mortality Record

(6) Equipment Inventory including surgical equipment etc.

(7) Dog Van Logbooks

(8) Staff attendance Record

(9) Organ Inspection Record

(10) CCTV Footage for previous 30 days (Thirty days)

**13. Reports:** The Project In-charge of the Local Authority or the Veterinarian in-charge of the Animal Welfare organisation conducting animal birth control program which has obtained Project Recognition under these rules shall:-

(*a*) submit a monthly progress report to the Local Animal Birth Control Monitoring Committee, of the number of street dogs sterilized and vaccinated with the following details in formats prescribed in Schedule III and IV:

i) total number of street dogs caught

ii) total number of street dogs sterilized

iii) total number of street dogs housed for observation only

iv) total number of dogs that died before, during or after surgery

v) name and qualification of each veterinarian engaged with the project and the number of dogs sterilized by each veterinarian during the month.

vi) name& registration number of each veterinarian with number of Animal Birth Controlsurgeries conducted by him/her in each of the preceding month

vii) number of post-operative complications &mortality against the surgeries conducted by each veterinarian, in a form prescribed in Schedule-III

(b) submit an annual report to the Board through the State Animal Birth Control Monitoring Committee, not later than the 31st day of May every year regarding total number of animals captured, sterilized, immunized during the previous year ending on 31st March;

(c) submit, such other information as may be required by the Board or State Board, from time to time in prescribed format;

**14. Power to Inspect:**

(*1*) The Board shall have the power to authorise an inspection team in writing to inspect any Animal Birth Control Centeron receipt of a complaint or for periodical inspection:

(*2*) The Inspection Team shall, have power to—

(*a*) enter into the premises and access to all areas within the premises and all animals, and records, to ascertain whether the requirements of these rules are being complied with;

(*b*) take pictures, record videos, and make copies of the records.

(*3*) The recognised unit under these rules shall be inspected at least once in a year.

(*4*) The Inspection Team shall submit their report to the Board and to the State Monitoring Committee.

(5) No prior notice may be given by the Inspection team for conducting such inspection.

**15. Euthanasia of Street Dogs:**

(1) Incurably ill and mortally wounded dogs as diagnosed by a team appointed by the Local Animal Birth Control Monitoring Committee shall be euthanized during specified hours in a humane manner by intravenous administration of sodium pentobarbital or any other approved humane manner, by a qualified veterinarian.

(2) The team shall consist of the Jurisdictional Veterinary Officer, the Project In-Charge and a Representative of the Board/State Board.

(3) No dog shall be euthanized in the presence of another dog. The person responsible for euthanizing shall make sure that the animal is dead, before disposal.

(4) Records for euthanasia shall be maintained with the reasons for euthanasia under the signature of the team appointed as above.

**16. Resolution of Complaints regarding dog bites or rabid dogs:**

The Local Authority may establish an Animal Helpline. Either the Project In-Charge or the Animal Welfare Organisation shall be responsible for recording and resolving conflict cases that may be reported.

i) On receipt of such a complaint, the details such as name of the complainant, his complete address, date and time of complaint, nature of complaint etc. shall be recorded in a register to be maintained for permanent record.

ii) The information of any dog bite shall be promptly shared with the Government Medical Hospital to recommend post bite treatment.

iii) Such animals shall be humanely captured and kept for observation at the Animal Birth Control Center. Upon the advice of the Veterinary Practitioner, a dog showing symptoms of any communicable disease shall be housed in the Isolation Kennel where food and water must be provided to the dog twice every day.

iv) Any suspected rabid dog would then be subjected to inspection by a panel of two personsi.e a veterinary surgeon appointed by the Local Authority and a representative from an Animal Welfare Organisation.

(v) If the dog is found to have a high probability of having rabies, it would be isolated till it dies a natural death. Death normally occurs within 10 days of contracting rabies. Premature killings of suspected rabid dogs, therefore, prevents the true incidence of rabies from being known and appropriate action being taken.

(vi) If the dog is found not to have rabies but some other disease or is furious in nature then it would be handed over to the Animal Welfare Organisation who will take the necessary action to cure and release the dog after 10 days of observation.

(vii) The carcasses of dogs that are suspected to have died of rabies shall be disposed of in an incinerator or adopting any other method as prescribed by the Chief Veterinary Officer of the District.

(viii) If the Animal Birth Control program is being run by an animal welfare organisation, it shall be reimbursed by the Local Authority for keeping and treating such dogs under observation at a rate determined by the Local Animal Birth ControlMonitoring Committee.

(ix) The Local Authority shall display outreach material provided by the Board on prominent sites in the city, to sensitize people about street dogs.

**17. Counting and disposal of Organs:**

The reproductive organs removed from male and female dogs shall be stored in 10% Formaldehyde at the Animal Birth Control Center.

i) The organs shall be counted fortnightly or monthly or as often as decided by the Local Animal Birth Control Monitoring Committee, by a team comprising of the following:

a) Chief Veterinary Officer or any Veterinary Officer authorised by him

b) Project In-Charge Veterinary Officer

c) Representative of the State Board/SPCA

c) Representative of any Animal Welfare Organisation

Provided that the Animal Welfare Organisation which is conducting the Animal Birth Control program shall not be part of the Organ Inspection Team.

ii) The organs shall be preserved in separate plastic boxes marked with number of male & female genital organs and date of Surgery.

iii) The Organ Inspection Team shall count all the organs and verify the Progress Report of the Implementing Agency for the period in question.

iv) The counted organs shall be immediately destroyed in the presence of the Organ Inspection Team, by spraying of tattoo dye and deep burial or incineration. The process of dying and burying the organs shall be video recorded and photographed with the date and time stamp.

V) The State ABC Monitoring Committee shall conduct surprise inspection at least once every year in each ABC Center to ensure adherence to the rules & take necessary action in case of non-compliance.

18. **Effect of Non–Compliance:** (1) After considering the report(s) referred to in rule 14 if the Board is of the opinion that any provisions under these Rules are contravened or any violation of provision of the Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960 or Rules framed thereunder has occurred, or in the event of cruelty, the Board shall issue show cause notice to the Animal Welfare Organisation or Local Authority running the Animal Birth Control Center for reply within 15 days.

(2) Pending reply from the Animal Welfare Organisation or Local Authority, the Board may suspend its recognition by communicating reason in writing.

(3) The Board, based on the inspection report and the reply to the Show Cause Notice, may take action in accordance with this Act or direct the District Magistrate or District SPCA to take appropriate action against the violators in accordance with law.

(4) The Board shall have the power to Cancel the registration of any Animal Welfare Organisation to prevent such organisation from conducting animal birth control programs for any animals if there is reason to believe that violation of these Rules is taking place.

(5) The Board shall Blacklist any Animal Welfare Organisation to prevent such organisation from conducting animal birth control programs for any animals. Provided that such Blacklist shall only be done if upon inspection authorised or conducted by the Board, it is established that the Animal Welfare Organisation is a repeat offender or if the nature of the violation is concerning heinous cruelty or corruption in any form.

(6) Any violation under these Rules shall be deemed to be an offence under the Act and the office bearers of the Animal Welfare Organisation or the Project In-Charge of the Local Authority may be charged in accordance with law.

**19. Sterilization and Immunization of Domestic/Feral cats** – Upon the advice of State Board, the sterilization of cats may be conducted by a Recognized Animal Welfare Organisation with training and expertise in spay/neuter of cats, in a manner prescribed in the Guidelines for Cat Sterilization and Immunization, published by the Board.

(1) The infrastructure and reimbursement of expenses for a Cat Birth Control program shall be provided by the Local Authority.

(2) While cat sterilization programs can be conducted in the Animal Birth Control Center provided for dogs, the cats must not be housed with or come in contact in any way with dogs.

(3) The post-operative care of cats must be done in a place where they do not suffer from unnecessary stress by the sounds/smells of dogs.

**20. Feeding of Community Animals** –(1) It shall be responsibility of the Resident Welfare Association (RWA) or Apartment Owner Association(AoA) or Local Body's representative of that area to make necessary arrangement for feeding of community animals residing in the premises or that area involving the person residing in that area or premises as the case may be, who feeds those animals or intends to feed those animals and provide care to street animals as a compassionate gesture. The RWA or AoA or the Local Body's representative shall ensure:

(1) to designate feed spots which are mutually agreed upon, keeping in mind the number of dog population and their respective territories. The feeding spots shall be far from children play areas, entry and exit points, staircase or in an areas which is likely to be least frequented by children and senior citizen.

(2) to designate feeding time depending on the movement of children, senior citizens, sports activities which is likely to be least frequented by children and senior citizen.

(3) designated feeder shall ensure that there is no littering at the feeding location or violation of guidelines framed by the RWA or AoA or that areas.

(4) designated feeders are allowed to volunteer for the vaccination, catching and release of dogs to assist with the Animal Birth Control Program

(2) Where there is any conflict between the RWA or AOA and the animal caregivers or other residents, an Animal Welfare committee comprising of the following shall be formed:

a) Chief Veterinary Officer or his representative

b) Representative of the Jurisdictional Police

c) Representative of the District Society for Prevention of Cruelty to Animal or State Board

d) Representative of any Recognized Animal Welfare Organisation conducting Animal Birth Control

e) Veterinary Officer deputed by the local authority

f) Complainant

g) Representative of the RWA or AoA or Local Body of that area.

The decision of the Committee constituted under sub-rule (2) of Rule 20 shall be the final decision with regard to the fixing of the feeding point. The Committee may also nominate person(s) from amongst the designated Colony Care Taker by the Board to feed those animals in that area.

(3) Any local authority or animal welfare organisation or any feeder RWA or AoA or Local Body aggrieved by the decision of the Committee framed under sub-rule (2) of Rule 20, the appeal shall be filed to the State Board. The decision of State Board shall be the final decision for feeding of animals in that area.

**21. Appeal. —** (1) The animal welfare organisation aggrieved by the decision of the project Recognition Committee may, within thirty days of receipt of the decision, prefer an appeal to the Board;

(2) The Chairman of the Board on receipt of the grievance shall constitute a Committee where the members from the Board and the relevant officials shall examine the grievance. The Committee shall after giving notice and giving an opportunity of hearing to the parties, either may reject or allow the appeal, for the reasons to be recorded in writing.

(3) Any local authority or animal welfare organisation or individual aggrieved by the decision of the Board, they shall file second appeal to the Secretary Department of Animal Husbandry within 30 days of receiving communication from the Board. The decision of the Secretary Department of Animal Husbandry treated as final decision with regard to the grievance.

**22. Application of rules where local bye-laws etc., exist:** (1) If there is local rules, bye laws, any Act, regulation for the time being is in force by the State or the Local Authority in respect of any of the matters for which provision is made in these rules, such rule, regulation or bye-law shall to the extent to which**:**

(a) it contains provisions less irksome to the animal than those contained in these rules, shall prevail;

(b) it contains provisions more irksome to the animal than those contained in these rules, be of no effect.

[F. No. R-440485/13/2022-DADF-Dept]

Dr. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

## SCHEDULE-I

1. Form I

Application Form for seeking permission of Animal Birth Control Program

Part - I

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Organization Details | |
| (a) | Name of the Organization | |
| (b) | Address of the Organization with pin code No. | |
| (c) | Telephone Nos. with STD Code & Mobile No.(Whatsapp No.) | |
| (d) | E-mail address | |
| (e) | PAN No. of the Organization | |
| (f) | Year of Establishment | |

2. Details of Animal Shelter/ Dispensary

| S. No. | Address of Shelter / Dispensary | No. of Sheds | Area of Shed | No. of small animals | No. of Large animals | Type (Shelter / Disp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | . | |
| 2 | | | | | | |

3. Details of the Office Bearers/Governing Body/Management Committee

| Name | Designation | Address | Telephone No. / Mobile No. (whats app) | Email address | Aadhar No. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Registration No. with year under Societies Registration Act/Indian Trust Act, Co-operative Societies Act, etc. (Attach copy of Registration Certificate with renewal, if any ,duly attested by Notary | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Public) | | |
| 5. | Details of Registration on NITI Aayog NGO Portal–Date and Unique ID Number (Attach A photocopy)(Mandatory) | | |
| 6. | Memorandum of Association, By Law/Constitution of orgn. (Please attach copy of MOA with amendments, if any, duly Attested by Notary Public) | | |
| 7. | Details of Registration under Foreign Contribution Regulation Act- Registration No.& Date.(Please attach copy of Registration certificate) | | |
| 8. | Details of 80 G exemption under Income Tax Act, if any (Number, Date and Attachment) | | |
| 9. | Details of Source of Income (Grant Received with state Govt., Central Govt., Foreign Agencies and other Source) | | |
| | | From State Govt. | |
| | | From Central Govt.(other than AWBI) | |
| | | From Donations | |
| | | From Foreign Agencies | |
| | | From other sources | |
| | | **Total** | |
| 10(i) | Main Objective of the Organization | | |
| 10(ii) | Activities of the Organization with Percentage of expenditure incurred during the last three year | **Activities** | **%of expenditure** |
| | | Sheltering of Stray Cattle/large animals | |
| | | Sheltering of stray Dogs and other small animals | |
| | | Animal birth Control programme | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Dispensary/Treatment | |
| | | Ambulance services /Mobile Animal Clinic | |
| | | Rescue/ Rehabilitation of animals | |
| | | Awareness / Training for animal welfare | |
| | | Legal Cases booked against cruelty to animals | |

10(iii) Other activities as per aims and objectives

| S. No. | Activities | % of expenditure |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |

11. Details of Number of Animals Sheltered/Treated/Rescued during the year

(i) Number of animals rescued during the year

(ii) Number of animals treated by the Organization in the preceding one year

**Note:**(*As verified from animal treatment register maintained by the Organization*)

| In their in-house dispensary/ hospital | Sick and injured animal on the spot | In medical camps | By Mobile Clinics | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(iii) General health condition of the animal sheltered (Attach related document)

(iv) Animal Verification Certificate by jurisdictional Vety. Officer (Attach photo copy of certificate)

12. Details of Dispensary/Medical facilities available

| Address of Dispensary /Medical facility | OT (Available/Not Available) | Medical Equipment | Details to be attached |
|---|---|---|---|
| | | | |

13. Whether Ambulance/Tractor Trolley is available, if yes

| S.No. | Model of Vehicle | Date of Purchase | Kms. | Cost of Purchase | Purpose of use | Log Book |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | Whether the Organization is involved in any litigation? If yes, details there of including latest position and how it has affected the working of the organization | |
| 15. | Details of Staff in the Organization/Shelter | |

| Name of the staff | Age | Aadhar No. | Salary | Education | Designation | Type (FullTime/ PartTime) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 16. | Number of court cases filed under PCA Act during the last year | |
| 17. | Number of FIR filed under PCA Act during last year | |
| 18. | Periodicity of Management Committee Meetings (Attach copies of Resolution adopted towards Animal Welfare Activities oflast1year) | |
| 19. | Copy of the Activity Report / Annual Report of the last three year, if any | |
| 20. | Copy of Annual Audited Accounts including Balance sheet and Income & Expenditure statement, if any | |
| 21. | Details of Bank Account in the name of the Organization | |

| | Name of the Bank | Branch Address | IFSC Code | Account No. | Name of the Account Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Part – II**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22. | Details of the ANIMAL BIRTH CONTROL Center(s) | | | |
| | **Name of the Center** | **Address of the Center** | | |
| | | | | |
| 23. | Proposed total number of animals to be sterilized or targeted and immunized in the current year | | | |
| (i) | **Male Dogs** | **Female Dogs** | **Total** | |
| | | | | |
| (ii) | Total expenditure to be incurred for the purpose | | | |
| 24. | | | | |
| | **S.No.** | **Amount** | **Received from** | **Year** |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Details of Grant-in-aid/ reimbursement grant received from any other Agency/Govt./Dept., if any for the same purpose

25. Details of ANIMAL BIRTH CONTROL Operations carried out in the last5 years (year-wise details)

| S.No. | Male Dogs | Female Dogs | Total |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

26. Details of infrastructure / facilities available with the organization to implement the proposed scheme

| | | |
|---|---|---|
| (a) | Whether you have a Dispensary with operation theatre? | ☐ Yes ☐ No |
| (b) | No. of auto claves available | |
| (c) | Whether Storage Room for medicines and equipment available? | ☐ Yes ☐ No |
| (d) | Method of catching of dogs | |
| (e) | Whether you have your own dog catchers, if not, then Name of Agency that will be catching and releasing the dogs | |
| (f) | No. of Trained Animal handlers | |
| (g) | Monthly capacity for carrying out ANIMAL BIRTH CONTROL programme | |

(h) No. of Kennels and details of the measurements/facilities

| | |
|---|---|
| **No. of Kennels** | |
| **Area** | |

(i) Details of operation Theatre and other infrastructure

| | |
|---|---|
| (A)Pre-operation preparation area | ☐ Available ☐ Not Available |
| (B)Air-conditioning in OT | ☐ Available ☐ Not Available |
| (C) Method of identifying the sterilized dogs(e.g. Ear Notching) | |
| (D)Drain age System | ☐ Available ☐ Not Available |
| (E) Room/Area for cleaning and sterilizing instruments | ☐ Available ☐ Not Available |
| (F) No. of sets of surgical instruments available | |

(G)No. of basic instruments

| | |
|---|---|
| Cautery Machine | |
| O.T Table | |
| Stretchers | |
| Autoclave | |

| | | |
|---|---|---|
| | Refrigerator | |
| 27. | Whether entered into MoU with Municipality/Municipal Corporation/AWO?<br>(if Yes, Copy Of MoU to be enclosed) | ☐ Yes ☐ No |
| 28. | Whether dog population survey conducted in your area during the year<br>If yes, attach report | ☐ Yes ☐ No |

29. Details of the other collaborating AWOs in this project?

| S.No. | Name& Address of the AWO |
|---|---|
| | |
| | |

30. Details of Monitoring Committee

| S.No. | Name& Address of the committee members |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|---|---|---|
| 31. | Additional information, if any | |

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above information and documents provided by me are true and correct to the best of my knowledge and belief and no facts have been concealed in the form.

Signature & Seal (Authorized signatory)

For and on behalf of the Governing Body of the Organization

Name:

Designation:

Note:

Documents are in Regional language, translate the same in Hindi or English at the time of submission.

3. Form II

Certificate of Project Recognition

4. Form IV

Renewal of Project Recognition as per Part – II of Form - I

5. Form V

Renewal of Project Recognition Certificate

**Schedule-II**

**Constitution of Monitoring Committees**

**1. Central Monitoring & coordinating Committee:**

**The Central Monitoring & Coordinating Committee shall be constituted with the following members:**

a) Secretary of the Administrative Ministry administering the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, shall be the Chairperson of the Central Coordination Committee.

b) Animal Husbandry Commissioner of Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

c) Joint Secretary or Equivalent Officer from Urban Development Ministry, Government of India

d) Joint Secretary or Equivalent officer from Ministry of Panchayati Raj Department, Government of India

e) Chairperson, Animal Welfare Board of India

f) Chairperson, Veterinary Council of India

g) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare

h) Two Representatives of prominent State Animal Welfare Boards actively engaged in animal birth control coordination in the State

i) An officer at the level of Joint Secretary of the Administrative Ministry administering the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, shall be the Member Secretary of the Central Monitoring &Coordination Committee.

**Functions of the Central Monitoring & coordinating Committee:**

The Central Monitoring & Coordination Committee shall have the following functions:

i) To monitor proper implementation of the Animal Birth Control Rules.

ii) To promote the Animal Birth Control Programme and arrange budgetary provision for the animal birth control in the states.

iii) To facilitate inter- ministerial coordination and also resolve the issues related to Animal Birth Control.

iv) Matter related to policy intervention required for Animal Birth Control Programme.

v) Any other matter related to Animal Birth Control programme.

(vi) may hear complaints in regard to the cancellation of recognition of Animal welfare organisation and pass necessary direction or order to the Board as the case may be.

vii) Keep a watch on the national and international development in the field of research pertaining to street dogs' control and management, development of vaccines and cost effective methods of sterilization, vaccination, etc.

**Meeting of the Committee**: The Central Monitoring and Coordination Committee shall meet once in six months or as and when necessary.

**2. State Implementation & Monitoring Committee:**

States intent to carry out the Animal Birth Control Programme shall constitute the State Implementation & Monitoring Committee. The constitution of the Committee is as under:

a) Secretary in-charge of the Urban Development Department or equivalent in the State or Union Territory shall be the Chairperson of the State Monitoring & Implementation Committee.

b) Director, Health and Family Welfare Department

c) Director, Department of Panchayeti Raj

d) Director, Urban Development Department (or equivalent)

e) Two Representative of the Animal Welfare Board of India

f) Two Representative of State Animal Welfare Board

g) Administrative heads of at least 2 municipal corporations, and representatives of at least 2 panchayats, and at least 2 municipal councils in that state or union territory

h) Officer In-Charge of the State Animal Welfare Board shall be the Member Secretary as well as the nodal officer for implementing the program in each state and union territory.

**Note:** No representative of the Board or State Board should be directly involved in the Animal Birth Control Programme as Implementing Agency in that jurisdiction.

**Functions of the State Monitoring and Implementation Committee:**

The State Monitoring and Implementation Committees shall be responsible to carry out the following functions:

(i). The setting up of Animal Birth Control Monitoring Committees at the local authority levels as required by the Animal Birth Control Rules.

(ii). Developing a comprehensive district wise plan (including but not limited to infrastructure, budget, etc. for dog population management in urban and rural areas throughout the state.)

(iii). Enlisting Animal Birth Control Implementing Agencies possessing of the requisite training and experience, recognized by the Animal Welfare Board of India to carry out the Animal Birth Control Programme as per the District and State Plan. This may include the animal husbandry department of the State working in consultation with and the under the technical guidance of the AWBI.

(iv). Ensuring that the requisite infrastructure is set up, and other capital costs (including but not limited to fully furnished Animal Birth Control facilities/campuses with ambulances and equipment), and all other expenses for successfully running an animal birth control program, including manpower costs, are made available to the Animal Birth Control Implementing Agencies from the local authorities, and reimbursed in a timely manner as required by Rule 6 of the Animal Birth Control Rules.

(v). Responsible for overall monitoring of the Animal Birth Control Programme in the State by the Local Authorities.

(vi). The State Monitoring Committee shall also carry out inspection on receipt of any complaints regarding the Animal Birth Control and Cruelty to Animals during the Birth Control Program and violation of Animal Birth Control Rules and take appropriate action.

**Meeting of the Committee**: The Committee shall meet once in every three months or as and when necessary.

**3. Constitution of Local Animal Birth Control Monitoring Committee**

No Animal Birth Control Programme shall be carried without constitution of the Local Animal Birth Control Monitoring Committee. The establishment of Animal Birth Control Monitoring Committee at the local level in accordance with Animal Birth Control Rules is indispensable for the success of the Animal Birth Control program. The Committee shall be constituted with the following members:

(a) Municipal Commissioner or Executive Officer of the local authority, who shall be the ex-officio Chairman of the Committee.

(b) A representative of the Public Health Department of the District.

(c) A representative of the Animal Husbandry Department of the nearby Block or District.

(d) A jurisdictional veterinary doctor

(e) A representative of the district Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)

**Functions of the Committee**

The committee shall be responsible for planning and management of dog control programme in accordance with these rules. The committee may:

(a) Issue instructions for catching, transportation, sheltering, sterilisation, vaccination, treatment and release of sterilized vaccinated or treated dogs.

(b) authorize veterinary doctor to decide on case to case basis the need to put to sleep critically ill or fatally injured or rabid dogs in a painless method by using sodium pentathol. Any other method is strictly prohibited. To be decided through a sub-committee comprising of two veterinary officers and a representative of a recognized animal welfare organization. The sub-committee shall specify reasons in writing for euthanasia of each animal.

(c) creating public awareness and solicit co-operation and funding.

(d) providing guidelines to pet dog owners and commercial breeders from time to time.

(e) take such steps for the purpose of monitoring the dog bite cases and to ascertain the reasons of dog bite, the area where it took place and whether it was from a stray or a pet dog. For the purpose details may be collected from Human Hospital in a requisite format.

f) Arrive at an estimate of the number of dogs within its territorial limits by conducting a census in the manner advised by the AWBI.

g) Ensure development of the infrastructure required to execute the Animal Birth Control program for the estimated number of dogs. In order to do this, detailed project reports shall have to be prepared and submitted to the State Monitoring and Implementation Committee in coordination with the state government.

h) The infrastructure shall be designed in such a manner to carry out area-wise animal birth control in a phased manner of at least 70% dogs in the targeted area before a new area is taken up. The infrastructure shall include, but not be limited to pre-operation preparation areas, Operation Theatres, post-op care, kennels, kitchen, store rooms for rations and medicines, parking area, residential rooms for veterinarians and attendants, quarantine wards, ambulances, etc.

## Schedule-III

## Progress Report of Animal Birth Control program

**Date :** **Dispatch No. :**

**Month / Year :**

**Name of PIA* :**

**Name of Local Body :**

**Address of ABC Center :**

| S. No. | Name of Veterinary Practitioner - Doctor | Qualification | Registration No. | Registering Authority | No. of Surgeries Conducted in preceding month | No. of Post Operative Complications | Mortality in the preceding month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| GRAND TOTAL FOR THE MONTH | | | | | | | |

Date & Signature of Project In-charge Vet of **PIA*** :

**Date & Signature of MVO/ JVO****

**Name of MVO/ JVO**

**Stamp of MVO/ JVO**

**Date & Signature of DVO****

**Name of DVO**

**Stamp of DVO**

***** PIA : Project Implementing Agency

****** MVO : Municipal Veterinary Officer deployed by Local Body.

****** JVO : Jurisdictional Veterinary Officer deployed at Govt. Veterinary Hospital of the area.

****** DVO : District Veterinary Officer of Animal Husbandry Deptt./ Ex-officio Member Secretary of the District SPCA of the concerned district..

**Monthly Progress Report of ABC-ARV Project**

**Date :** **Dispatch No. :**

**Month / Year :**

**Name of PIA* :**

**Name of Local Body :**

**Address of ABC Center :**

| Date | No. of Male Dogs | No. of Female Dogs | Total No. of Dogs Covered | No. of Dogs under Observation | Mortality | Verification by MVO/ JVO | Verification by DVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1st Date of the Month.** | | | | | | | |
| **2nd Date of the Month.** | | | | | | | |
| **Continued till…** | | | | | | | |
| **Last Date of the Month** | | | | | | | |
| **GRAND TOTAL** | | | | | | | |

Date & Signature of Project In-charge Vet of **PIA*** :

**Date & Signature of MVO/ JVO**** **Date & Signature of DVO****

**Name of MVO/ JVO** **Name of DVO**

**Stamp of MVO/ JVO** **Stamp of DVO**

***** PIA : Project Implementing Agency

****** MVO : Municipal Veterinary Officer deployed by Local Body.

****** JVO : Jurisdictional Veterinary Officer deployed at Govt. Veterinary Hospital of the area.

****** DVO : District Veterinary Officer of Animal Husbandry Deptt./ Ex-officio Member Secretary of the District SPCA of the concerned district.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.08.26 13:55:36 +05'30'